



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७



रामारोशन गाउँपालिका अछाम



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षणको कार्यालय
Office of the Auditor General



प्रदेश नं.५, कर्णाली प्रदेश लेखापरीक्षण

महानिवेदनालय

२०१६

पत्र संख्या: २०७६/७७

च.नं. ४९७

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

मिति: २०७७/३/३०

श्री अध्यक्षज्यू,

रामारोशन गाउँपालिका, अछाम।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।


नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ।

.....
 २०७६/३/३०
 (चन्द्रकान्त भण्डारी)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनार्द

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।



(टिंकमणि शर्मा, दंगाल)

महालेखापरीक्षक

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्योरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व वाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छानौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, श्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्योराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारबाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको वावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्योराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।



महालेखापरीक्षण कार्यालय
Office of the Auditor General
प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

पत्र संख्या: २०७६/७७
 च.नं. ४९८

Phone : 4258174
 4266034
 4255707
 A.G.Fax : 977-1-4268309
 Fax : 977-1-4262798
 Post Box : 13328
 बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल
 Babar Mahal, Kathmandu, Nepal
 मिति: २०७७/३/३०

श्री अध्यक्षज्यू
 रामारोशन गाउँ कार्यपालिकाको
 कार्यालय, अछाम ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले रामारोशन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूत रूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियतसहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

१. पालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
२. लेखापरीक्षणबाट रु.३ करोड ४६ लाख ३२ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.३३ लाख २ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२ करोड ५७ लाख २५ हजार नियमित गर्नुपर्ने रु.५६ लाख ५ हजार रहेको छ ।
३. लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७६/०६/४ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहित विभिन्न ५ दफाको रु.२ लाख २९ हजार असुल तथा प्रमाण कागजात पेश हुन आएकोले उक्त दफाहरु प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ । अन्य दफा बेरुजु फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको अन्तिम प्रतिवेदन पाना ३० (तिस) यसैसाथ संलग्न छ ।
४. आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले

~~



महालेखापरीक्षण कार्यालय
Office of the Auditor General
प्रदेश नं.५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

Phone : 4258174
 4266034
 4255707
 A.G.Fax : 977-1-4268309
 Fax : 977-1-4262798
 Post Box : 13328
 बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल
 Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

काम गरेका छौं। लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यालयिता तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडारहीत स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ। गाउँ कार्यपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन्।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्तीसमेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडारहीत रहेको होस् भनी उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो। लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्यस्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन। वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ।

२०७८/०८/२०
 (चन्द्रकान्त भण्डारी)
 नायव महालेखापरीक्षक

रामारोशन गाउँपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७५/७६

परिचय: स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने रामारोशन गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यमा सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका हरेक काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई लाभको वितरणमा सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । रामारोशन गाउँपालिका अन्तर्गत ७ वडा रहेको ३९ सभा सदस्य १७३.३३ व.कि.मी. क्षेत्रफल, २९६२३ जनसंख्या रहेको छ । यो गाउँपालिका सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थित छ ।

स्थानीय संचित कोष:- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को समग्र संचित कोष आय व्यय हिसावको संक्षिप्त अवस्था निम्नबमोजिम रहेको छ ।

| सि.नं. | आयतर्फ | | | सि.नं | व्ययतर्फ | | |
|--------|--------------------------------|-------------|--------------|-------|---------------------------|-----|--------------|
| | विवरण | रकम | रकम | | विवरण | रकम | रकम |
| १ | गत वर्षको जिम्मेवारी | | ३६६७२७५६.८२ | १ | चालु खर्च | | २८२४५५६६०.६९ |
| | क) नगद | ० | ० | २ | पूँजीगत खर्च | | १२२५६७९०३ |
| | ख) बैंक | ३६६७२७५६.८२ | ० | ३ | वित्तीय व्यवस्था भुक्तानी | | ० |
| २ | राजस्व (आन्तरिक आय) | | ६१६९९१२२.९८ | | क) ऋण भुक्तानी | | ० |
| | क) आन्तरिक राजस्व | ८८०२५१.७१ | ० | | ख) व्याज भुक्तानी | | ० |
| | ख) राजस्व बाँडफाँड | ६०८१८८.२७ | ० | | ग) अन्य भुक्तानी | | ० |
| | ग) अन्य आय | | ० | ४ | लगानी | | ० |
| ३ | वित्तीय हस्तान्तरण | ० | २६४४३६२०० | | ऋण लगानी | | ० |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ८५९००००० | ० | | शेयर लगानी | | ० |
| | ख) सर्वानुदान | १७८५३६२०० | ० | | अन्य लगानी | | ० |
| | ग) सम्पूरक अनुदान | | ० | ५ | धरौटी फिर्ता | | ० |
| | घ) विशेष अनुदान | ० | ० | ६ | कोष खर्च | | ० |
| ४ | प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान | ० | १५४१४००० | ७ | मौज्दात | | ५११११०६.३७ |
| | क) वित्तीय समानीकरण अनुदान | ६९५४००० | ० | | क) नगद मौज्दात | | ० |
| | ख) सर्वानुदान | ९६०००० | ० | | ख) बैंक मौज्दात | | ० |
| | ग) सम्पूरक अनुदान | ० | ० | | | | ० |
| | घ) विशेष अनुदान | ७५००००० | ० | | | | ० |
| ५ | अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त | | ० | | | | ० |
| ६ | वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति | ० | ० | | | | ० |
| | क) ऋण प्राप्ति | ० | ० | | | | ० |
| | ख) साँवा प्राप्ति | ० | ० | | | | ० |
| | ग) व्याज प्राप्ति | ० | ० | | | | ० |
| | घ) अन्य प्राप्ति | ० | ० | | | | ० |
| ७ | विभिन्न कोषतर्फको आय | ० | ० | | | | ० |
| ८ | जनसहभागिता (नगद) | ० | ० | | | | ० |
| ९ | विषयगत निकायबाट प्राप्त रकम | ७७६७६००० | ७७६७६००० | | | | ० |
| १० | धरौटी आय | ० | ० | | | | ० |
| ११ | लगानीको साँवाफिर्ता | ० | ० | | | | ० |
| १२ | अन्य विविध आय | १०५४५९०.२७ | १०५४५९०.२७ | | | | ० |
| | जम्मा | | ४५६९५२६७०.०६ | | जम्मा | | ४५६९५२६७०.०६ |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | <p>उपरोक्त आर्थिक कारोवारहरूको पेश भएसम्मको स्रेस्ता र प्राप्त आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन तथा स्वीकृत लेखापरीक्षण योजनाबमोजिम लेखापरीक्षणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि जोखिम विश्लेषण, नमना छनौट र लिखित प्रतिनिधित्वपत्रको आधारमा लेखापरीक्षण नीति, मानदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशन, एवं व्यवसायिक लेखापरीक्षणका असल अभ्यासका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोवार र वित्तीय विवरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापन पक्षमा रहेको छ। रु.५ लाखभन्दा बढी खर्च भएका योजनाहरूको स्रेस्ता नमूना छनौटको माध्यमबाट लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराका सम्बन्धमा कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग मस्यौदा प्रतिवेदनउपर मिति २०७६।५।१० मा छलफल गरी कायम हुन आएका व्यहोराहरू निम्नानुसार छन्:</p> <p>लेखापरीक्षणको क्रममा रु.७२९८९ असुल गरी दाखिला भएको छ।</p> | |
| | <p>स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार २०७५ आषाढ मसान्तभित्र बजेट गाउँ सभाबाट पारित भएको छ।</p> <p>वित्तीय लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्:</p> | |
| १. | <p>आयको अनुमान:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु.१४ लाख आय प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा रु.८८०२५।१७ अर्थात अनुमान भन्दा ३७।१२ प्रतिशत घटी आय प्राप्त गरेको छ। आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथांथपरक बनाई आय आर्जन बढ़ि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ।</p> | |
| २. | <p>खर्च गर्ने अखिलयारी:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अखिलयारी प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रशासकिय अधिकृतले १५ दिनभित्र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अखिलयारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि बजेट कार्यान्वयनको लागि अखिलयारी प्रदान गर्ने गरेको पाइएन। अतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम बजेट खर्च गर्ने अखिलयारी प्रदान गरी खर्च गर्नुपर्ने पर्दछ।</p> | |
| ३. | <p>आन्तरिक आय:</p> <p>कार्यालयले यो वर्ष रु.८८०२५।१७ आन्तरिक आय प्राप्त गरेकोमा गाउँपालिका अन्तर्गतका ७ वटा वडाको आम्दानीसमेत एकमुष्ट केन्द्रले दाखिला गर्ने गरेको देखियो। वडा कार्यालयहरूमा आयको दैनीक प्राप्ति खाता, आयको मासिक विवरणसमेत बनाउने गरेको देखिएन। गाउँपालिकाको आयमा वडागत योगदान यकिन हुन सकेन। अतः आगामी दिनमा प्रत्येक वडाले मासिक आय विवरण तयार गरी गाउँपालिकामा पठाउने र गाउँपालिकाले वडागत विवरणसमेत देखिने गरी मासिक र वार्षिक आय विवरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ।</p> | |
| ४. | <p>आयव्ययको लेखा :</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७२(२) मा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको आय र व्ययको वर्गिकरण तथा खर्च शीर्षकसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यालयले यो वर्ष एकल खाता कोष प्रणालीबाट सञ्चालन गरी भुक्तानी</p> | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बहुक्षेत्रीय पोषण, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर खर्च गरेको, चालु र पूँजीगत खर्च शीर्षकको विनियोजन तथा नेपाल सरकारको आय तथा व्यय शीर्षकको शीर्षकगत लेखाङ्गन पालना स्थिति कमजोर रहेको, योजनागत खाता अद्यावधिक हुन नसकेको देखिन्छ । कार्यालयले तोकिएको विनियोजन तथा खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्दै आय तथा व्ययको शीर्षकगत परिपालनामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ५. | मध्यकालिन खर्च संरचना : अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरूमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहीत मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने मध्यमकालिन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । स्रोतको वितरणमुखी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न तथा योजनाहरूलाई लागतलाभ विश्लेषण गरी लागतप्रभावी बनाउन मध्यकालिन खर्च संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ६. | बजेट सीमा निर्धारण समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम गाउँपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्युन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र गाउँपालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले समितिको गठन गरेको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायतका क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| ७. | नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति : निकायको आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तपसिल व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन भएको देखिएन : <ul style="list-style-type: none"> ● कृषि, पशु, वन तथा वातावरण नीति अन्तर्गत लोपोन्मुख जीवजन्तु, वनस्पती, जडीबुटी संरक्षणका लागि पहल गर्ने भनिएकोमा सो नीति कार्यान्वयन भएको पाइएन । ● सम्पति कर लगायतका १५ किसिमका कर लगाई अन्तरिक आयमा बढोत्तरी गर्ने भनिएकोमा सो अनुरूप काम भएको छैन । ● पुर्वाधार विकास नीति अन्तर्गत पुर्वाधार विकासलाई दिगो तथा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नगर पुर्वाधार विकास गर्ने भनिएता पनि सो सम्बन्धी कार्य भएको छैन । ● रामारोशन चक्रपथ निर्माण तथा मोटरबोट निर्माण संचालन गर्ने भनिएता पनि सो सम्बन्धी कार्य पुरा हुन नसकी बजेट अन्यत्र रकमान्तर गरी खर्च गरेको ● रामारोशन क्षेत्रलाई पर्यटकिय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भनिएकोमा लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको | |
| ८. | बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|---|------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------|---------------|--|
| | तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | |
| ९. | बजेट अबण्डा : स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यक्रमगत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले रु.२४ करोड २९ लाख ६८ हजार बराबरका कार्यक्रम बजेट अबण्डा राखेको देखियो । योजना स्वीकृत नगरी बजेट व्यवस्था गर्न नमिल्ने, त्यसको लागी अबण्डामा बजेट राख्नु उपयुक्त देखिएन । यसले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुनिश्चितता नहुने, रकमान्तर गरी अन्यत्र बजेट सार्ने अवस्था सूजना हुने देखिएकोले यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | |
| १०. | बैंक हिसाब : गाउँपालिकाको खाता हिसाब र बैंक हिसाब एक आपसमा भिडान हुनुपर्दछ । गाउँपालिकाको आयव्यय विवरण अनुसार (सेस्ताअनुसार) आषाढ मसान्तको मौज्दात रु.३७९३६४६३३३७ देखिएको छ, तर मिति २०७६।३।३१ को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार देहायका बैंक खातामा जम्मा रु.५०३२०२४७।६३ मौज्दात देखियो । गाउँपालिकाको सेस्तामा र बैंक हिसाबमा रु.१३१८३७८।२७ फरक परेको देखिएकोले सो फरक हिसाब सम्बन्धमा बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्ने रु. | १३१८३७८।२७ | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>खता</td><td>२०७५।३।३२ को मौज्दात बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार</td></tr> <tr> <td>स्थानीय तह सञ्चित खाता</td><td>१८२८६८८५८।६९</td></tr> <tr> <td>पूँजीगत खर्च खाता</td><td>५०९६५३६।८१</td></tr> <tr> <td>चालू खर्च खाता</td><td>२७०९६८५८।९३</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td>५०३२०२४७।६३/-</td></tr> </table> | खता | २०७५।३।३२ को मौज्दात बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार | स्थानीय तह सञ्चित खाता | १८२८६८८५८।६९ | पूँजीगत खर्च खाता | ५०९६५३६।८१ | चालू खर्च खाता | २७०९६८५८।९३ | जम्मा | ५०३२०२४७।६३/- | |
| खता | २०७५।३।३२ को मौज्दात बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार | | | | | | | | | | | |
| स्थानीय तह सञ्चित खाता | १८२८६८८५८।६९ | | | | | | | | | | | |
| पूँजीगत खर्च खाता | ५०९६५३६।८१ | | | | | | | | | | | |
| चालू खर्च खाता | २७०९६८५८।९३ | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ५०३२०२४७।६३/- | | | | | | | | | | | |
| ११. | चौमासिक खर्च: गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वार्षिक रु.४०५०३३५६।३।६९ निकासा भएकोमा प्रथम चौमासिकमा रु.७४२८।९९।३।९० अर्थात १८।३४ प्रतिशत, दोश्रो चौमासिकमा रु.७७८।३०।३।९।४४, अर्थात १९।२० प्रतिशत र तेश्रो चौमासिकमा रु.२५।२९।२५।३।३५, अर्थात ६२।४४ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु.१५।५०।४५।६।५।५ अर्थात ३९।४० प्रतिशत खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रूपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । | | | | | | | | | | | |
| १२. | सशर्त अनुदान- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७।४।७५ च.नं.१०६।४ मिति २०७५।३।३ को सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धी विषयको पत्रअनुसार विभिन्न तीन किस्तामा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको र सशर्त अनुदानमा मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पशु लगायतबाट प्राप्त भएको रकम आषाढ मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा गाउँपालिकामा अनुदानको रकम खर्च भई बाँकी रहेको रु.१२२९।८।७।४७ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको छ । | | | | | | | | | | | |
| १३. | राजश्व अभिलेख : लेखापरीक्षणको क्रममा गाउँपालिकाले राजस्व आम्दानीको निर्णय, असुली तथा दाखिलासम्मका अभिलेख व्यवस्थित गरी श्रेस्ता राखेको देखिएन । यसबाट गाउँपालिकाको वास्तविक राजस्व असुली र दाखिला यकिन हुन सकेन । गाउँपालिकाले यसमा विशेष ध्यान दिई आन्तरिक आयको उचित | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|------|-------|------|-----------------------------|------------------------------|------|-------|------|---|-----------------------------------|------|------|------|-------|--|--|--|------|--------|
| | अभिलेखाङ्गन तथा परिचालन गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १४. | <p>व्यवसाय कर : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ले अनुसूची ४ अनुसार व्यवसाय कर लगाई असुल गर्ने उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाको कार्यालयले व्यवसायीहरुको लगत राखी राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरुको लगत राखी उक्त लगत अद्यावधिक गरी लगतमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुबाट कर रकम संकलन गरेको पाइएन । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका व्यवसायलाई व्यवसायीको अभिलेख राखी करको दायराभित्र त्याउनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५. | <p>गो.भौ.नं.३ मिति २०७५/३१९, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार निकायको भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले गाउँपालिका स्तरीय जल उपयोग गुरुयोजना तर्जूमावापत रु.१३९८६००/- को सम्झौता गरी श्री मालिका विकास संघ अछामलाई अन्तिम किस्तावापत रु.५५९८४९। भुक्तानी गरेको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन अनुसार लाग्ने अग्रिम कर अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा कट्टा गर्ने सम्झौताको शर्त अनुसार कुल भुक्तानीमा कर कट्टा गर्नुपर्नेमा सो वेगर भुक्तानी भएकोले सम्झौता अनुसारको भुक्तानीमा नियमानुसार लाग्ने कर असुल हुनुपर्ने रु.</p> | २०९७९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १६. | <p>गो.भौ.नं.१२५ मिति २०७६/१५ भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७(११) मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रही दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिमा फिल्ड भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ । निम्नानुसार कर्मचारीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी लिएकोमा स्थानीय भत्ता कट्टी गरी भुक्तानी दिनुपर्नेमा कट्टी नगरेकोले असुल हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भ्रमण गर्नेको नाम</th><th>भ्रमण स्थान भ्रमण मिति</th><th>जम्मा दिन</th><th>भुक्तानी दैनिक भत्ता</th><th>कट्टा हुनुपर्ने स्थानीय भत्ता</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ज.स्वा.अ. भपटराज ढुङ्गाना</td><td>रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६</td><td>४.२५</td><td>१०९६०</td><td>१७४५</td></tr> <tr> <td>प.नि.सु.अ. भगवान सिंह कुँवर</td><td>रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६</td><td>४.२५</td><td>१०९६०</td><td>१७४५</td></tr> <tr> <td>स्वास्थ्य वित्तिय समानिकरण गो.भौ.नं.२१ मिति २०७६/१५</td><td>रामारोशन २०७५/१२/४ देखि २०७६/१/२५</td><td>५.२५</td><td>१२००</td><td>१४६६</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td></td><td></td><td>४९५६</td></tr> </tbody> </table> | भ्रमण गर्नेको नाम | भ्रमण स्थान भ्रमण मिति | जम्मा दिन | भुक्तानी दैनिक भत्ता | कट्टा हुनुपर्ने स्थानीय भत्ता | ज.स्वा.अ. भपटराज ढुङ्गाना | रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६ | ४.२५ | १०९६० | १७४५ | प.नि.सु.अ. भगवान सिंह कुँवर | रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६ | ४.२५ | १०९६० | १७४५ | स्वास्थ्य वित्तिय समानिकरण गो.भौ.नं.२१ मिति २०७६/१५ | रामारोशन २०७५/१२/४ देखि २०७६/१/२५ | ५.२५ | १२०० | १४६६ | जम्मा | | | | ४९५६ | ४९५६/- |
| भ्रमण गर्नेको नाम | भ्रमण स्थान भ्रमण मिति | जम्मा दिन | भुक्तानी दैनिक भत्ता | कट्टा हुनुपर्ने स्थानीय भत्ता | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ज.स्वा.अ. भपटराज ढुङ्गाना | रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६ | ४.२५ | १०९६० | १७४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प.नि.सु.अ. भगवान सिंह कुँवर | रामारोशन २०७५/१२/३०-२०७६/१/६ | ४.२५ | १०९६० | १७४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य वित्तिय समानिकरण गो.भौ.नं.२१ मिति २०७६/१५ | रामारोशन २०७५/१२/४ देखि २०७६/१/२५ | ५.२५ | १२०० | १४६६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | ४९५६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७. | <p>गो.भौ.नं.१९९ मिति २०७६/३१६ रेडियो रामारोशन, अछामबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण गरेवापत रु.१०००००/- भुक्तानी लिएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्र कट्टा गरेकोले छुट ५ प्रतिशत तथा गो.भौ.नं.३३ मिति २०७६/३११ स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशनवापत वैद्यनाथ राष्ट्रिय दैनिक मंगलसेनलाई रु.६०००/- भुक्तानी दिएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टा नभएकोले कट्टा हुनुपर्ने रु.९००/-समेत गरी रु.५९००/- कर कट्टा गरी दाखिला हुनुपर्ने रु.</p> | ५९००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १८. | <p>बहाल कर : आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार रकम भुक्तानीमा कर कट्टी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार यस कार्यालयबाट भएको निम्न भुक्तानीमा १० प्रतिशतले हुन आउने बहाल कर कट्टी गर्नुपर्नेमा गो.भौ.नं.४९८ मिति २०७६/०३/२३ बाट जालीपोल्या हुडेतोला हुँदै वडा कार्यालयसम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले सडक निर्माण कार्यमा मालिका निर्माण सेवाको डोजर प्रयोग गरेवापत</p> | ५८३८०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | विजक नं.१५ मिति २०७६०३१८ को विलबमोजिम डोजर प्रयोगको भाडा रु.६७१०४०।- को भ्याट बाहेकको रकम रु.५८३८०४।८० को बहाल कर कट्टी भएको नदेखिदा असुलउपर गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु। | |
| | नियमितताको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्: | |
| १९. | तलबी प्रतिवेदन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन आन्तरीक लेखापरीक्षकबाट पारित गराई तलब खर्च लेख्नुपर्नेमा कार्यालयले कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब खर्च लेखेको छ। तलबी प्रतिवेदन पारित नहुँदा गेडसमेत यकिन हुन सकेन। तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्दछ। | |
| २०. | स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानीलगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको गाउँपालिकाको प्रोफाइल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको तथा स्रोत नक्साङ्कन वा गाउँ प्रोफाइल तयार गरेको देखिएन। स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा पहल हुन आवश्यक छ। तथ्याङ्कवेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यान्वयनले उचित सार्थकता नपाउने हुँदा यस तर्फ गाउँपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ। | |
| २१. | कर्मचारी व्यवस्था : निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकामा रहने कर्मचारी दरबन्दी ३३ रहेता पनि पदपूर्ति ६ रहेको देखियो। रा.प.तृतीय अधिकृतसहित २७ पद रिक्त रहेका छन्। तिमध्ये ११ जना करारमा राखी कार्यसञ्चालन गरिएको छ। जनशक्तिको अभावमा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन र सेवाप्रबाहमा समेत असर परेकाले दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिनुपर्दछ। | |
| २२. | आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेमा गरेको छैन। यस सम्बन्धी अन्य व्यहोराहरु तपसिल अनुसार रहेका छन्। <ul style="list-style-type: none"> ● सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तर्जुमा गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेमा गरेको छैन। ● जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विभिन्न मालसामान मर्मत तथा लिलाम गर्नुपर्नेमा गरेको छैन। ● मूल्य खुल्ल नसकेका सामानहरुको मुल्य खुलाई राख्नुपर्नेमा केहि सामानहरुको मूल्य खुलाएको छैन। ● मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम ६क मा ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई समय मै नदिई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दिएको ● स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक खर्च गर्नुपर्नेमा कुल खर्चमध्ये अधिकांश रकम तेश्रो चौमासिकमा खर्च गरेको, | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तिमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरी निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको, ● वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन दिने नगरेको, ● स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानिय न्यूनतम दररेट आर्थिक वर्ष शुरु हुनु भन्दा पन्थ दिन अगाहै तोकी सक्नु पर्नेमा दररेट तोकेको छैन । ● कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगे नपुगेको जाँच गरी रसिद, बिल, भरपाईहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखी कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले “भुक्तानी भएको” जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको छैन । ● कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ (क) बमोजिम वस्तु तथा सेवा आपुर्तिको लागि मौजुदा सूची तयार गरिएको पाइएन । ● यस गाउँपालिकाले ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरी ठेक्का खाता र कन्टिजेन्स खाता राखेको छैन । ● स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ (२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको छैन । ● विभिन्न आयोजनाहरुको लागि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा ढुवानीको कर बिजक जारी गर्नु पर्नेमा नगरी भर्पाई मात्र संलग्न गरेको पाइयो । ● सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११२ अनुसार रु.१० लाख भन्दा बढिको निर्माण कार्य गराउँदा विमा गराउनु पर्नेमा कुनै पनि ठेक्कामा विमा गराएको छैन । ● सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । ● सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुको लागत अनुमान स्वीकृति, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन आदिमा मिति उल्लेख गरेको छैन । ● वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यक्रमका प्रत्येक क्रियाकलापहरुमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि एकमुस्त राखी भ्रमण खर्च नियमावली अनुसार खर्च गर्नु पर्नेमा नगरेको ● खर्च संकेत वर्गीकरण र व्याख्या अनुसार वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेर लेखांकन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेको, ● कन्टिजेन्सी खर्चको अभिलेख रजिस्टर नराखेको, ● निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु नगरेको, ● कार्यक्रमगत खाता नराखेको कारण कार्यक्रमगत प्रगति यकिन गर्न नसकिएको ● वातावरण संरक्षणको एकिकृत दिर्घकालीन योजना तयार नगरेको, ● सम्पन्न भएका योजनाहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरेको, | |
| २३. | रसिद नियन्त्रण प्रणाली : कार्यालयले रसिद हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग नहोस भन्दका लागि रसिद नियन्त्रण खाता | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|---|---|----|---|-----------------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|---------------|--|---|-----------|------|---|--------------|-----|---|----------------|-----|----|------------|-----|----|-----------------------|---|--|--------------|---|----|----------------|------------|----|------------------|--|
| | राख्नुपर्नेमा सो खाता राखेको देखिएन । जसले गर्दा गतवर्षको रसिद मौज्दात, यस वर्ष छपाई गरेको रसिद संख्या, यस वर्षको रसिद प्रयोग स्थिति तथा रसिदको बाँकी रहेको मौज्दातसमेत यकिन हुन सकेन । कार्यालयले रसिद नियन्त्रण खाता राखी सो खातामा आम्दानी र खर्च विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय वडाले आफैले छापेरसमेत आय रसिदको प्रयोग गरेको पाइयो । अतः कार्यालयले आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २४. | बार्षिक खरिद योजना/ गुरुयोजना - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खारिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु.१२२५६७९०३-पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर गाउँपालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नवनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नवनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः गाउँपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २५. | सवारी साधन खरिदको विवरण : गाउँपालिकामा भएका सवारी साधन सम्बन्धी विवरण देहायबमोजिम छः | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं</th><th>सवारी साधन</th><th>खरिद संख्या</th><th>मूल्य</th><th>प्रयोग गर्ने पदाधिकारी संस्था</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>मोटरसाइकल</td><td>१५</td><td>३७५०००/-</td><td>वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरु</td><td>३ थान यस वर्ष खरिद</td></tr> </tbody> </table> <p>गाउँपालिकाले डोजर लोडर लगायतका हेभि इक्विपमेन्ट खरिद गरेको छैन ।</p> | क्र. सं | सवारी साधन | खरिद संख्या | मूल्य | प्रयोग गर्ने पदाधिकारी संस्था | कैफियत | १ | मोटरसाइकल | १५ | ३७५०००/- | वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरु | ३ थान यस वर्ष खरिद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| क्र. सं | सवारी साधन | खरिद संख्या | मूल्य | प्रयोग गर्ने पदाधिकारी संस्था | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | मोटरसाइकल | १५ | ३७५०००/- | वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरु | ३ थान यस वर्ष खरिद | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६. | सेवाप्रवाहको स्थिति : गाउँपालिकाले नियमानुसार जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्दछ । यस वर्ष गाउँपालिकाबाट निम्नअनुसार सेवाप्रवाह गरेको विवरण प्राप्तभएको छः <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>विवरण</th><th>जम्मा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>स्वीकृत घर नक्सादर्ता पास (पुरानो ... तथा नयाँ ...)</td><td rowspan="10">विवरण पेश नभएको</td></tr> <tr> <td>२</td><td>अस्थायी इजाजत प्रदान व्यवस्था तथा द्वारा भएको</td></tr> <tr> <td>३</td><td>स्थायी इजाजत प्रदान मैत्रीभेदभावी दृष्टिकोण</td></tr> <tr> <td>४</td><td>निर्माण सम्पन्न सिफारिस (पुरानो तथा नयाँ)</td></tr> <tr> <td>५</td><td>निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी</td></tr> <tr> <td>६</td><td>नक्सा पास नभएका पुराना घरहरुको अभिलेखीकरण</td></tr> <tr> <td></td><td>पञ्जिकरण तर्फ</td><td></td></tr> <tr> <td>७</td><td>जन्मदर्ता</td><td>३११५</td></tr> <tr> <td>८</td><td>मृत्यु दर्ता</td><td>१५९</td></tr> <tr> <td>९</td><td>बसाईसराई दर्ता</td><td>३१३</td></tr> <tr> <td>१०</td><td>विवाहदर्ता</td><td>१३३</td></tr> <tr> <td>११</td><td>सम्बन्ध विच्छेद दर्ता</td><td>१</td></tr> <tr> <td></td><td>अन्य सिफारिस</td><td>-</td></tr> <tr> <td>१२</td><td>घरबाटी सिफारिस</td><td rowspan="2">रेकर्ड पेश</td></tr> <tr> <td>१३</td><td>नागरिकता सिफारिस</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | विवरण | जम्मा | १ | स्वीकृत घर नक्सादर्ता पास (पुरानो ... तथा नयाँ ...) | विवरण पेश नभएको | २ | अस्थायी इजाजत प्रदान व्यवस्था तथा द्वारा भएको | ३ | स्थायी इजाजत प्रदान मैत्रीभेदभावी दृष्टिकोण | ४ | निर्माण सम्पन्न सिफारिस (पुरानो तथा नयाँ) | ५ | निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी | ६ | नक्सा पास नभएका पुराना घरहरुको अभिलेखीकरण | | पञ्जिकरण तर्फ | | ७ | जन्मदर्ता | ३११५ | ८ | मृत्यु दर्ता | १५९ | ९ | बसाईसराई दर्ता | ३१३ | १० | विवाहदर्ता | १३३ | ११ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | १ | | अन्य सिफारिस | - | १२ | घरबाटी सिफारिस | रेकर्ड पेश | १३ | नागरिकता सिफारिस | |
| सि.नं. | विवरण | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | स्वीकृत घर नक्सादर्ता पास (पुरानो ... तथा नयाँ ...) | विवरण पेश नभएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | अस्थायी इजाजत प्रदान व्यवस्था तथा द्वारा भएको | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | स्थायी इजाजत प्रदान मैत्रीभेदभावी दृष्टिकोण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | निर्माण सम्पन्न सिफारिस (पुरानो तथा नयाँ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | नक्सा पास नभएका पुराना घरहरुको अभिलेखीकरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पञ्जिकरण तर्फ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | जन्मदर्ता | | ३११५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | मृत्यु दर्ता | | १५९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | बसाईसराई दर्ता | | ३१३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | विवाहदर्ता | १३३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | १ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य सिफारिस | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | घरबाटी सिफारिस | रेकर्ड पेश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १३ | नागरिकता सिफारिस | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|--|---------------------|--|------------|
| | १४ | नाता प्रमाणित पूर्वाधार विकास सडक निर्माण | नभएको | | |
| | १५ | कालोपत्रे सडक निर्माण | | | |
| | १६ | कालोपत्रे सडक मर्मत | | | |
| | १७ | ग्रामेल सडक निर्माण | | | |
| | १८ | ग्रामेल सडक मर्मत | रेकर्ड पेश नभएको | | |
| | स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमध्ये पञ्जकरण बाहेकका अन्य सेवा सञ्चालनमा आएको देखिएन। सिफारिस लगायतका अत्यावश्यक सेवा समेत दिन नसेकेको गाउँपालिको सेवाप्रवाहको स्थितिमा सुधार हुनु पर्दछ। | | | | |
| २७. | कानून निर्माण र कार्यान्वयन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकता अनुसार नियम, निर्देशिका, कार्याविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका निम्न कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् : | | | | |
| | सि.नं. | कानूनको नाम | | | |
| | १. | आर्थिक ऐन, २०७५ | | | |
| | २. | वजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ | | | |
| | ३. | पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४ | | | |
| | ४. | गाउँ सभा सञ्चालन कार्याविधि, २०७४ | | | |
| | ५. | बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्याविधि, २०७४ | | | |
| | ६. | गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्याविधि) नियमावली, २०७४ | | | |
| | ७. | गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ | | | |
| | ८. | गाउँकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ | | | |
| | ९. | गाउँपालिका शिक्षा कार्यनीति, २०७४ | | | |
| | १०. | करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५ | | | |
| | ११. | न्यायीक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्याविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ | | | |
| | १२. | उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५ | | | |
| | १३. | अनिवार्य आधारभूत शिक्षा गाउँपालिका कार्यान्वयन रणनितिक योजना, २०७४ | | | |
| | १४. | अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता सम्बन्धी कार्याविधि, २०७४ | | | |
| | १५. | सहकारी ऐन, २०७५ | | | |
| | १६. | अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ | | | |
| २८. | कल्याण कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले तिजको सेवा शर्त तथा कानूनबमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान, औषधी उपचार लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले कार्यालयलाई कर्मचारी कल्याण कोषको लागि आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार यस गाउँपालिकाको सभाबाट बजेट बिनियोजन गरी कर्मचारी कल्याण कोष खातामा ल्याएको पाइएन। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सेवा निवृत हुँदा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा भविष्यमा आर्थिक दायित्व पर्न जाने हुँदा आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका कर्मचारीहरूको | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., समिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------|----|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|----------------------------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| | अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २९. | <p>न्यायिक समिति : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था रहेको छ । गाउँपालिकाले ३ सदस्य रहेको न्यायिक समिति गठन गरेको छ । न्यायिक समितिसमक्ष आ.व.०७५/७६ मा ४३ वटा मुद्राका फिराद दर्ता हुन आएकोमा समितिले ३१ वटा मुद्रा फछ्यौट गरेको, ७ वटा मुद्रामा जिल्ला जान सल्लाह दिएको र ५ वटा मुद्रा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समितिले गाउँपालिकाको वडागत रूपमा परेका विवाद दर्ता अभिलेख रहेको देखिएन । सूक्ष्म ढंगबाट विवादको विषयवस्तुको विश्लेषण गरी विवाद न्यूनीकरणलाई सहयोग पुऱ्याउने सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसैगरी गाउँपालिकाले न्यायिक समितिको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने हुँदा न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानमा जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याई सर्वसाधारणलाई कम खर्चिलो, सरल र छारितो न्याय प्रदान गर्न गाउँपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३०. | <p>स्थानीय तहका पदाधिकारी सुविधा : नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाँउ सभा तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाबाट देहायबमोजिम रु. ४७२९२००/- सुविधा वापत भुक्तानी भएको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं</th><th>विवरण</th><th>प्रमुख/अध्यक्ष</th><th>उपप्रमुख</th><th>वडा अध्यक्ष ७ जना</th><th>कार्यपालि का सदस्य ६ जना</th><th>सभाका सदस्य २३ जना</th><th>जम्मा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td><td>मासिक सुविधा</td><td>३९००००</td><td>३२५०००</td><td>१८२०००</td><td>६२४०००</td><td>१४९५०००</td><td>४६५४००</td></tr> <tr> <td>२.</td><td>सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा)</td><td>१३२००</td><td>१२०००</td><td>४२०००</td><td>-</td><td>-</td><td>६७२००</td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">जम्मा</td><td></td><td>४७२९२००</td></tr> </tbody> </table> | सि. नं | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ७ जना | कार्यपालि का सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य २३ जना | जम्मा | १. | मासिक सुविधा | ३९०००० | ३२५००० | १८२००० | ६२४००० | १४९५००० | ४६५४०० | २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | १३२०० | १२००० | ४२००० | - | - | ६७२०० | जम्मा | | | | | | | ४७२९२०० | |
| सि. नं | विवरण | प्रमुख/अध्यक्ष | उपप्रमुख | वडा अध्यक्ष ७ जना | कार्यपालि का सदस्य ६ जना | सभाका सदस्य २३ जना | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १. | मासिक सुविधा | ३९०००० | ३२५००० | १८२००० | ६२४००० | १४९५००० | ४६५४०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २. | सञ्चार सुविधा (मासिक दरमा) | १३२०० | १२००० | ४२००० | - | - | ६७२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | | | | | | ४७२९२०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३१. | <p>पदाधिकारी अन्य सुविधा: सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले ऐनले तोकेको सुविधाबाहेक बैठक भत्ता रु. २४३८९२००/-, तथा न्यायिक समितिको बैठक भत्तावापत रु. ७९०००/- सहित जम्मा रु. २५१७९२००- सुविधा खर्च लेखेको देखियो । यसरी ऐनमा व्यवस्था नभई लिएको उक्त रकम नियम संगत नदेखिएको रु. २५१७९२००</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३२. | <p>आर्थिक सहायता: दलित जनजाती जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रममा वडागत सिफारिसका आधारमा ५४ जना एकल तथा जोखिममा परेका महिलालाई प्रति महिला रु. १४०००/- का दरले रु. ७५६०००/- नगद बाँडेको देखियो । गाउँ कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णय बिना नै वडागत सिफारिस मात्रको आधारमा बाँडिएको उक्त रकम भैपरि आउने सहायता खर्च कै रूपमा निजहरूलाई दिएको पाइयो । यस्तो सहायता खर्च दिने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था नभएको देखिँदा खर्च रकम अनियमित देखिएको रु. ७५६०००/-</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यक्रम तथा योजनागत खर्चको लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा देहायबमोजिम छन्- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३. | योजना र कार्यान्वयन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|--|------------|
| | सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफलप्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूचीसमेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार दिर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूको सूची तयार गरेको पाईएन। योजना तयारी सम्बन्धी उक्त व्यवस्थाको पालना गरिनु पर्दछ। | |
| ३४. | लक्ष्य प्रगतिको स्थिति: गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित १२ वटा मूल कार्यक्रमको औपत प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको पाइयो। कार्यालयबाट सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, जिल्ला स्तरिय तथा केन्द्रिय स्तरका सबै आयोजनाको निर्धारित ढाँचामा प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमगत खर्च तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ। | |
| ३५. | प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट सञ्चालित योजनाको ठेका बिलहरूमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बरावर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ। लागत अनुमान बरावर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिङ नम्स अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन। यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिङ नम्स अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ। | |
| ३६. | सभाको निर्णय कार्यान्वयन- मिति २०७५/३१० मा सम्पन्न गाउँपालिकाबाट पारित विभिन्न क्षेत्रगत १२ वटा कार्यक्रम तथा अन्तर्गतका १३१ वटा सहायक कार्यक्रमसमेतको कार्यान्वयनको स्थितिसहितको सभाको निर्णय र प्रतिवेदन माग गरिएकोमा उपलब्ध हुन सकेन। अत सभाको निर्णय कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी वर्णान्तमा समिक्षा गर्नुपर्दछ। | |
| ३७. | उपभोक्ता समिति छनौट - सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड सम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायबाट गराउन सक्ने र यसका लागि सम्बन्धित काम र सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायको व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समूदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कार्यालयले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा सम्झौताबाहेक सम्झौतापूर्वक उक्त प्रकृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हुन आएन। यसबाट विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति छनौटको आधार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भएको देखिएन। यसबाट निर्माण कार्यको समय, लागत र गुणस्तरमा असर पर्ने हुँदा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह छनौट गर्दा उक्त नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गरिनुपर्दछ। | |
| ३८. | खर्च अनुमोदन- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात | |

| दफा नं. | भौ.नं., सिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | त्यस्तो समिति वा समूदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट सञ्चालित योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका र बिल भुक्तानीको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन पेश गर्ने गरेको भएता पनि अन्य बिल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजातहरु समितिको पूर्ण बैठकबाट खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण र सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रमाण पेश गर्ने गरेको छैन । कार्यालयले समेत अनुगमन समितिको खाली प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा खर्चको सुनिश्चितता यकिन गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ । नियमको प्रावधानबमोजिम कागजात पेश गर्न लगाई खर्च थप पारदर्शी एवं यथार्थपरक बनाउनेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनुपर्दछ । | |
| ३९. | योजना हस्तान्तरण: निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकी योजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कार्यालयबाट सञ्चालित वार्षिक विनियोजन भएका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएका सम्भौता अनुसारको कार्यको मात्र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको योजना सम्पन्न भएको यकिन गर्ने प्राविधिकहरुको प्रबृत्तिका कारण योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने स्थिति नरहेको देखियो । योजनाहरु सम्पन्न भैसकेपश्चात समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा विगत वर्षदेखि सञ्चालन गरिएका कुनैपनि योजना सम्बन्धित समूदायलाई मर्मत सम्भारको जिम्मेवारीसमेतको हस्तान्तरण गर्ने गरेको छैन । समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाहरुको स्वामित्व उपभोक्ता समिति मै रहने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ । | |
| ४०. | सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाबाट वार्षिक सम्पन्न योजनाहरु कार्यालयको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सामाजिक परीक्षण भए गरेको पाईएन । ऐनले तोकेअनुसार कार्यान्वयन भएका योजनागत विकास निर्माणका कार्यको सार्वजनिक एवं सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । | |
| ४१. | गुणस्तर परीक्षण: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले आपुर्ति गरेका मालसामान सम्भौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट खरिद गरिएका यन्त्र उपकरण, ल्यापटप लगायत सवारी साधनको भुक्तानी गर्दा सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेको छैन । अतः खरिद भएको निर्माण सामाग्री लगायतका यन्त्र औजार लगायतका सामानहरुको गुणस्तर सम्बन्धमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । | |
| ४२. | कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १०(७) अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा लागत अनुमानको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेस गर्न सकिने र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।१।१५ को निर्णयअनुसार खर्च गर्दा पूँजीगत प्रकृतिको २ प्रतिशत र अन्य सानातिना खर्च ३ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रत्येक कार्यक्रम खर्चबाट ५ प्रतिशत का दरले बिलबाट यस्तो रकम कट्टी गर्ने गरेको छ । यसरी कट्टी गरेको रकमको कार्यक्रमगत कन्टिन्जेन्सी खर्चको अभिलेख खडा गरी राख्नु पर्नेमा राख्ने गरेको छैन । यसले गर्दा पूँजीगत एवं चालु खर्चमा कन्टिन्जेन्सी खर्चको अवस्था यकिन गर्न सकिएन । कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी खर्चको कार्यक्रमगत आम्दानी खर्चको अभिलेख राखि कन्टिन्जेन्सी रकमको तोकिएको क्षेत्रमा उपयोग तथा नियन्त्रणको व्यवस्था | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|---------------|-------------|--------------|--------|--------------|---------------------|--------|---|------------|--|--------------|---|---------|---|-----------|--|-------------|----------------------|---------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|
| | गरिनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | वित्तिय समानिकरण (पूँजीगत) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४३. | <p>कैलास खोला जलविद्युत योजना: गो.भौ.नं. २७५ मिति २०७६/३/२९, कैलास खोला जलविद्युत योजना वडा नं. २ मा यस वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन भई उक्त निर्माण कार्यको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा Work Excavation in canel power house, Forcby and ext. अन्तर्गतको कार्यको स्वीकृत लागत अनुमान अनुसारको (Dumenty) परीक्षण नै उल्लेख नगरी लमसममा बिल पेश गरेअनुसार रु.५४७८६१६१ भुक्तानी भएकोमा सो को पुष्ट्याई गर्ने आधार नभएको रु.</p> | ५४७८६१६१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४४. | <p>निर्माण सामाग्री: कार्यालयले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार विभिन्न लघु जलविद्युत योजनाका निर्माण सामाग्री सम्बन्धित उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गराई रु. ४९,१८,३६३०० भुक्तानी गरेको देखियो । यसरी योजनाका लागि खरिद भएका सामानहरु सम्बन्धित योजनामा जडान भएको देखिएन ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th><th>योजनाको नाम</th><th>विनियोजन बजेट</th><th>सामानको नाम</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२६९/०७६/३/२९</td><td>गोगनघडा लघु ज.वि.यो</td><td>५०००००</td><td>steel pole 75kg .30 वटा, wire 4.5km</td><td>४९,४९,४०/-</td><td></td></tr> <tr> <td>२६५/०७६/३/२४</td><td>कैलास खोला ज.वि.यो.(IV,V) (नेपाल इन्फा .इन्ड्रियज प्रा.लि.</td><td>३००००००</td><td>steel pole, generator, transformer,w ire</td><td>२१८३४२३/-</td><td></td></tr> <tr> <td>१७१/०७६/३/६</td><td>गुल्सु खोला ज.वि.यो.</td><td>१५०००००</td><td>Elee pole 173 waine</td><td>१४४००००/ -</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>४९९८३६३/-</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>उक्त लघु जलविद्युत योजनाका लागि खरिद भएका उपर्युक्त मूल्यका सामानहरु सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको जिम्मा लगाएको, उक्त सामानको जडान, टेप्टिङ लगायतका कार्य हुन सकेको देखिएन । उक्त योजनाहरुका लागि खरिद भएका विद्युतीय सामानहरु जडान गरी सोको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु</p> | गो.भौ.नं./मिति | योजनाको नाम | विनियोजन बजेट | सामानको नाम | भुक्तानी रकम | कैफियत | २६९/०७६/३/२९ | गोगनघडा लघु ज.वि.यो | ५००००० | steel pole 75kg .30 वटा, wire 4.5km | ४९,४९,४०/- | | २६५/०७६/३/२४ | कैलास खोला ज.वि.यो.(IV,V) (नेपाल इन्फा .इन्ड्रियज प्रा.लि. | ३०००००० | steel pole, generator, transformer,w ire | २१८३४२३/- | | १७१/०७६/३/६ | गुल्सु खोला ज.वि.यो. | १५००००० | Elee pole 173 waine | १४४००००/ - | | | | | | ४९९८३६३/- | | ४९९८३६३/- |
| गो.भौ.नं./मिति | योजनाको नाम | विनियोजन बजेट | सामानको नाम | भुक्तानी रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६९/०७६/३/२९ | गोगनघडा लघु ज.वि.यो | ५००००० | steel pole 75kg .30 वटा, wire 4.5km | ४९,४९,४०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २६५/०७६/३/२४ | कैलास खोला ज.वि.यो.(IV,V) (नेपाल इन्फा .इन्ड्रियज प्रा.लि. | ३०००००० | steel pole, generator, transformer,w ire | २१८३४२३/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १७१/०७६/३/६ | गुल्सु खोला ज.वि.यो. | १५००००० | Elee pole 173 waine | १४४००००/ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ४९९८३६३/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४५. | <p>गुल्सु खोला जलविद्युत योजना: गो.भौ.नं. १७१, मिति २०७६/३/६, गुल्सु खोला जलविद्युत योजनाका लागि सम्बन्धीत उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता एवं स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार Electrical pole 3.5ml wall thickness पोल १५३ वटा स्वीकृत भएकोमा उपभोक्ता समितिलाई भेरिएसन दिन नमिले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत बिलअनुसार १७३ वटा पोलको प्रतिपोल ६००० का दरले भुक्तानी भएको देखियो । स्वीकृत सम्झौताभन्दा बढी २० पोलको रु.६०००१- दरले रु.१२००००१- भुक्तानी भएकोले सम्झौता विपरीत भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्ने रु.</p> | १२००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४६. | <p>मुल्य अभिबृद्धि कर: आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मू.अ.कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोधित व्यवस्था एवं मू.अ.कर नियमावली, २०५३ को २१ औ संशोधनअनुसार ६(ग) को थप व्यवस्थाले कार्यालयले ठेक्का, परामर्श, सामान आपूर्तिमा आपूर्तकलाई विजकअनुसार थप भुक्तानी हुने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुनआउने रकम कार्यालयबाट भुक्तानी खर्च लेख्दा कट्टा गरी सम्बन्धित आपूर्तकको स्थायी लेखा दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कोडमा नै दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाले २०७६ जेष्ठ १५ पछाडीका भुक्तानीमा थप दिएको मु.अ.कर रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकम कट्टा नगरी पूरै मू.अ.कर भुक्तानी दिएको देखियो । परीक्षण</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|----------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------|------|---|-------------------------------|---|----|---------|---------|---|-----------------------------|---|----|---------|---------|---|-----------------------------|---|---|--------|--------|---|-----------------------------|---|----|---------|---------|---|-----------------------------|---|---|---------|---------|---|-----------------------------|---|----|---------|---------|---|-----------------------------|---|---|---------|---------|---|-----------------------------|---|---|--------|--------|--|-------|--|----|------------|------------|
| | भएका भौचरहरुको आधारमा देखिएका उल्लेखनीय मू.अ.कर कट्टी नगरेको कर रकमको मू.अ.कर समायोजन प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने रु. | २४८२१९३/ ९९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४७. | खर्च पुष्ट्याईको आधार: गो.भौ.नं.२० मिति २०७६।१।३, शेरी पुलदेखि शैनीसम्मको कच्ची सडक मर्मतका लागि ट्याक्टरमा माटो ग्रेगर लगायतका सामाग्रीहरु ढुवानी गरेको भनी से.१ त ८९६ नं.को ट्याक्टर मिति २०७५।४।२५ देखि २०७५।४।५ सम्म प्रतिदिन रु.१० हजारका दरले १२ दिनसम्म प्रयोग गरेको भरपाईको आधारमा रु.१२०००। खर्च लेखेकोमा विग्रेको कच्ची सडक मर्मत गरेको नापी किताब, लागत अनुमान तथा बिल वेगर भुक्तानी दिएको उक्त रकम अनियमित देखिएको रु. | १२०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४८. | न्यून बजेट योजना: स्थानीय निकायहरुले समानीकरण तथा सशर्त अनुदानतर्फको कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्दा रु.५ लाखभन्दा कम लागत अनुमानका योजनाहरु स्वीकृत गर्न नहुनेमा यस वर्ष उक्त उल्लेखित सीमाभन्दा कम (३०००० देखि ५ लाख सम्म) ६८ वटा योजनामा रु.१ करोड ३१ लाख बजेट तथा कार्यक्रम छुट्टाएको छ। | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>झेत्रगत कार्यक्रम</th><th>वडा नं.</th><th>योजना स्वीकृत संख्या</th><th>विनियोजित बजेट</th><th>खर्च</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>पूर्वाधार विकास, गा.पा स्तरीय</td><td>-</td><td>१०</td><td>२४०००००</td><td>२४०००००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>१</td><td>१४</td><td>१८६७०००</td><td>१८६७०००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>२</td><td>५</td><td>६६००००</td><td>६६००००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>३</td><td>११</td><td>१३८५०००</td><td>१३८५०००</td></tr> <tr> <td>५</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>४</td><td>५</td><td>११५००००</td><td>११५००००</td></tr> <tr> <td>६</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>५</td><td>१४</td><td>३५०००००</td><td>३५०००००</td></tr> <tr> <td>७</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>६</td><td>३</td><td>११७८०००</td><td>११७८०००</td></tr> <tr> <td>८</td><td>पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय</td><td>७</td><td>६</td><td>९६००००</td><td>९६००००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>६८</td><td>१३१०००००/-</td><td>१३१०००००/-</td></tr> </tbody> </table> | सि.नं. | झेत्रगत कार्यक्रम | वडा नं. | योजना स्वीकृत संख्या | विनियोजित बजेट | खर्च | १ | पूर्वाधार विकास, गा.पा स्तरीय | - | १० | २४००००० | २४००००० | २ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | १ | १४ | १८६७००० | १८६७००० | ३ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | २ | ५ | ६६०००० | ६६०००० | ४ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ३ | ११ | १३८५००० | १३८५००० | ५ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ४ | ५ | ११५०००० | ११५०००० | ६ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ५ | १४ | ३५००००० | ३५००००० | ७ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ६ | ३ | ११७८००० | ११७८००० | ८ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ७ | ६ | ९६०००० | ९६०००० | | जम्मा | | ६८ | १३१०००००/- | १३१०००००/- |
| सि.नं. | झेत्रगत कार्यक्रम | वडा नं. | योजना स्वीकृत संख्या | विनियोजित बजेट | खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | पूर्वाधार विकास, गा.पा स्तरीय | - | १० | २४००००० | २४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | १ | १४ | १८६७००० | १८६७००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | २ | ५ | ६६०००० | ६६०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ३ | ११ | १३८५००० | १३८५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ४ | ५ | ११५०००० | ११५०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ५ | १४ | ३५००००० | ३५००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ६ | ३ | ११७८००० | ११७८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | पूर्वाधार विकास, वडा स्तरीय | ७ | ६ | ९६०००० | ९६०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | ६८ | १३१०००००/- | १३१०००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४९. | बर्षान्तमा रकमान्तर: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक स्वीकृत बजेटको आधारमा रही कुनै शीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतमा नबढाई रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा बैशाख मसान्त पछि यस्तो रकमान्तर तथा उपभोक्ता सँग कार्यान्वयन सम्झौता नगरिनेसमेत उल्लेख छ। यो वर्ष कार्यपालिकाले पटके निर्णयबाट ४ वटा स्वीकृत कार्यक्रमको रु.४२ लाख ६० हजार बजेट विभिन्न नयाँ ९ वटा योजनामा आषाढ महिनामा आएर रकमान्तर गरेको देखियो। कार्यालयले योजना तर्जुमा गर्दा विस्तृत सर्वेक्षण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|------------|
| | गाँउसभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकी रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । अतः योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण तथा प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तर्जुमा गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यालयले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । | | | | | |
| | गाउँसभाबाट पारित योजना | विनियोजन बजेट | गाउँपरिषदको बैठकबाट अन्यत्र सारी कार्यान्वयन गरेका योजना | बजेट खर्च | निर्णय मिति | |
| | होमस्टे व्यवस्थापन | ३० लाख | आसन्तला पडेक्षा खा.पा.यो. | १००००० | २०७६/३/२ | |
| | | | नाउला खोला खा.पा.यो. | १००००० | २०७६/३/२ | |
| | | | गजडा सि.यो. | ६०००० | २०७६/३/२ | |
| | रामारोशन ताल बोट सञ्चालन | ३० लाख | रामारोशन चक्रपथ खण्ड ४ | २२००००० | २०७६/२/२८ | |
| | | | चाफामाण्डौं चिलेत्रा सडक | ३००००० | २०७६/२/२८ | |
| | | | माटो परीक्षण | ५००००० | २०७६/२/२८ | |
| | पातल धम्कने ग्रा.सडक | ४ लाख | परामर्श भुक्तानी | ४००००० | २०७६/३/२१ | |
| | विपद व्यवस्थापन | १५ लाख | पिगला मा.वि.खा.पा | २००००० | २०७५/८/२२ | |
| | | | नानीखोला लघु ज.वि.यो. | ४००००० | २०७५/८/२२ | |
| | जम्मा | ७९ लाख | | ४२६००००/- | | |
| ५०. | अनुपातिक कट्टी: सम्झौतामा उल्लेख भएको उपभोक्ता समितिको योगदानभन्दा कम काम सम्पन्न भई रनिड विल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्थामा सोही अनुरूप स्थानीय निकायबाट व्यहोरिने अनुदान रकमलाई पनि उपभोक्ताको श्रमदानको अनुपातमा उपभोक्ताको श्रमदानको अंश घटाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा निम्नानुसार उपभोक्ता समितिहरुको रनिड विल भुक्तानी गर्दा सम्झौतामा उल्लेखित समितिको योगदानको अनुपातिक हिसावले कार्यालयको बजेट खर्च भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सम्झौतामा उल्लेखित पुरै रकम भुक्तानी भएकाले अनुपातिक रूपमा बढी भुक्तानी भएको रकम नियमसम्मत नदेखिएकोले असुल हुनुपर्ने रु | | | | | |
| | योजनाको नाम | सम्झौता, इष्टमेट बमोजिमको रकम | खुद काम भएको रकम | घटी अनुपातिक कट्टी रकम उपभोक्ता स.घटी श्रमदान गरेको कारण कार्यालयबाट भुक्तानी हुने रकम बढी गएको रु. | | |
| | | कार्यालयबाट भुक्तानी हुने | उपभोक्ता स.व्यहोरेको रकम | कार्यालयबाट भुक्तानी भएको | उपभोक्ता स.व्यहोरेको रकम | |
| | वासखेत सुतार सडक | २८८०००० | ७२०१०६ | २८८०००० | ७०७६२० | १२४८८ |
| | सैनीहुप सडक | ४२२४००० | ११०३२७७ | ४२२४००० | १०८५२०८ | १८०६९ |
| | सेरा वडा कार्यालय सडक | ७६८०००० | १९२००३५ | ८५१०६९८ | २१२७६७४ | ० |
| | विन्देश्वरी सुवाखोला ग्रा.स. | ५००००० | १०७५७८ | ४८९६९६ | ९८०५० | २०४०४ |
| | रामारोशन चक्रपथ नि खण्ड १ | २८८०००० | ७२०१०७ | २८८०७७५ | ३७५१९३ | ३४४९१४ |
| | मुजावगर | ३६४८००० | ९९२०२९ | ३८२५३३९ | ७४७९४० | १६४०८१ |

१३५६१७७/-

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | चाफामाण्डौ स. चिलेत्रा कालापानी ग्रा.स. भुजुवगर नं. वडा का.स. सैनीहुप सडक शान्तडा बाटुलासैन स. | २८८०००० ३०७२००० ४२२४००० २८००००० | ६६२१६६ ७६८०४३ ११०३२७७ ५६००००० | २८८०००० ३०७२०००० ४२२४०००० २८०००००० | ५७६००० ६५४१४९ ७४३६२१ ३२३४९३ | ८६१६६ ११३८९४ ३५९६५६ २३६५०७ | |
| | जम्मा | | | | | १३५६१७७/- | |
| ५१. | उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउदा सम्पूर्ण निर्माण कार्यको सञ्चालन उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा लोडर, एक्सामेटर मेशिनको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ९७ (११) अनुसार उपभोक्ता समितिका लाभग्राही समुदायले निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले खटाएको प्राविधिक कर्मचारीबाट त्यस्तो कामको नापजाँच गराई त्यस्तो निकायबाट प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको अंशसमेत कुलखर्चको विवरण सो निकायमा भुक्तानीको लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले यस वर्ष समानीकरण तथा सशर्त अनुदान (पूँजीगत) तर्फ सञ्चालित कार्यक्रमको विनियोजन भएको बजेट अनुसारको योजनागत सम्भौता सम्पन्न भएको उल्लेख छ। कार्यालयले अभिलेखको रूपमा ई.नापी कितावमा निर्माण कार्यमा लोडर, एक्सामेटर लगायतका मेशिन प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार उपभोक्ता समितिलाई गएको भुक्तानीतर्फको सम्भौता अंकबाट कुल मूल्याङ्कन भएको कामको मूल्यमा ८० प्रतिशत यकिन गरी सम्भौता भएअनुसारको पुरै रकम भुक्तानी दिई बिलको मूल्याङ्कनमा बाँकी हुन आउने रकम एकमुष्ट उपभोक्ताको तर्फबाट भएको श्रमदानको अंश भनि उल्लेख गरेको देखियो। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश योजनामा कुल काम कम देखिँदा उपभोक्ताको अंश न्यून देखिने अवस्था भएकाले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा वास्तविक कामको मूल्याङ्कन बिल अधिक देखाई कार्यालयबाट भुक्तानी हुने अंश पुरै भुक्तानी दिने र उपभोक्ताको अंश कम देखिने समस्यालाई टेवापुग्ने गरी लागत अनुमानभन्दा बढी कामको बिल बनाई पेश गर्ने गरेको अवस्था देखियो। उपभोक्ता समितिलाई भेरिएशन स्वीकृत गर्न नमिल्ने नियमावलीको व्यवस्था विपरीत प्राविधिकहरूले लागत अनुमानभन्दा बढीको उपभोक्ता समितिको कामको बिल तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरेकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनु पर्दछ। | | | | | | |
| ५२. | जनश्रमदान: उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको बढीमा रु.१ करोडसम्मको लागत अनुमानको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ। यसरी उपभोक्ताले सम्भौता गरी लिएको योजना पुनः तेसो पक्षलाई करार गराई दिन नमिल्ने उल्लेख भएकोमा कार्यालयसँग सम्भौता गरेका अधिकांश ग्रामिण सडकहरू, लघु जलविद्युत योजनाहरू उपभोक्ताले ठेकेदारसँग पुनः सम्भौता गरी ग्रामिण सडकमा एक्सामेटर लगाएर खनी ठेकेदारको बिल संलग्न गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्ने गरेको देखियो। प्राविधिकहरूले लागत अनुमानतयार गर्दा जनश्रमदानको Component अनुसारको कम यकिन गरी कुल लागत अनुमान तयार नगर्ने, सम्भौताअनुसारको भुक्तानी बिल तयार गर्दासमेत उपभोक्ताको सम्भौतामा कबोल अंकको जनश्रमदानको Component अनुसारको कामको मूल्याङ्कन बिल तयार नगरेकाले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा एकमुष्ट कुल मूल्याङ्कन रकमबाट भुक्तानी हुने अंश कट्टा गरी बाँकी बचत रकम उपभोक्ताको जनश्रमदान भनि बिलको अन्तिम हरफमा उल्लेख गर्नाले उपभोक्ताको यथार्थ जनश्रमदानको यकिन हुन सक्ने अवस्था | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|------------------------|--------|---------|---------|----------------------|-----------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|-----------------------|--------|---------|---------|------------------|--------|---------|---------|-----------------|--------|---------|---------|--------------------|--------|---------|---------|------------------------|-----------|---------|---------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------|---------|------------------|--|---|---|----------------------|-----------|---------|---------|------------------|-----------|---------|---------|-------|--|------------|------------|--|
| | <p>देखिएन । उपभोक्तासँग गरेका सम्भौतामा न्यूनतम १५ प्रतिशत श्रमदान अनिवार्य गरेकोमा उपभोक्ताले ठेकेदारलाई सडक निर्माणको कार्य सबलेटमा दिएकाले श्रमदानको अशं समावेश भएको छैन । यसरी गरिएको मुल्याङ्कनमा समेत अनुपातिक जनश्रमदानको आधारमा कार्यालयबाट सम्भौता अनुसारको रकम खर्च लेख्नुपर्नेमा पैरे सम्भौताअनुसारको रकम भुक्तानी गरेकाले न्यूनतम १५ प्रतिशत अशं कट्टी गरेको यकिन भएन । अतः सम्भौता अनुसारको श्रमदान खुल्नेगरी ठेक्काको बिल तयार गरी सम्भौता अनुसारको आनुपातिक रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>योजनाको नाम ग्रामिण सडक</th><th>लागत अनुमान (लाख)</th><th>सम्भौताअनुसार भुक्तानी रकम</th><th>हाल सम्मको भुक्तानी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रामारोशन चक्रपथ नि खण्ड १</td><td>३६ लाख</td><td>२८८००००</td><td>२८८००००</td></tr> <tr> <td>मुजुवगर चाफामाण्डौ स.</td><td>४५ लाख</td><td>३६४८०००</td><td>३६४८०००</td></tr> <tr> <td>चिलेत्रा कालापानी ग्रा.स.</td><td>३६ लाख</td><td>२८८००००</td><td>२८८००००</td></tr> <tr> <td>मुजुवगर ३ नं.वडा का.स.</td><td>३८ लाख</td><td>२६८८०००</td><td>२६८८०००</td></tr> <tr> <td>शान्तडा बाटुलेसैन स.</td><td>३३.६० लाख</td><td>२३०४०००</td><td>२३०४०००</td></tr> <tr> <td>सैनीहुप सडक</td><td>५५ लाख</td><td>४२२४०००</td><td>४२२४०००</td></tr> <tr> <td>सेरा वडा कार्यालय सडक</td><td>९६ लाख</td><td>७६८००००</td><td>७६८००००</td></tr> <tr> <td>वासखेत सुतार सडक</td><td>३६ लाख</td><td>२८८००००</td><td>२८८००००</td></tr> <tr> <td>विल्यमकाथ कृ.स.</td><td>९६ लाख</td><td>७६८००००</td><td>७६८००००</td></tr> <tr> <td>वासखेत दुलासैन सडक</td><td>२४ लाख</td><td>१९२००००</td><td>१९२००००</td></tr> <tr> <td>बल्लेखोला बाटुलासैन स.</td><td>२९.६९ लाख</td><td>२३७५०००</td><td>२३७५०००</td></tr> <tr> <td>बल्लेखूला बाटुलासैन स.</td><td>३०.४१ लाख</td><td>२४०००००</td><td>२४०००००</td></tr> <tr> <td>गुलिखा पडेक्ष ग्रा.स.</td><td>१९.२२ लाख</td><td>१४४००००</td><td>१४४००००</td></tr> <tr> <td>दुनीसैन भाटाकाटिया स.</td><td>३१.६५ लाख</td><td>२४०००००</td><td>२४०००००</td></tr> <tr> <td>भवन निर्माण तर्फ</td><td></td><td>०</td><td>०</td></tr> <tr> <td>पूर्णचन्द्र उ.मा.वि.</td><td>६०.९५ लाख</td><td>५२८६५९९</td><td>१६०००००</td></tr> <tr> <td>सरस्वती उ.मा.वि.</td><td>६१.०६ लाख</td><td>५२७५५३७</td><td>१६०००००</td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td></td><td>५७९४९९२८/-</td><td>५०५९९०००/-</td></tr> </tbody> </table> | योजनाको नाम ग्रामिण सडक | लागत अनुमान (लाख) | सम्भौताअनुसार भुक्तानी रकम | हाल सम्मको भुक्तानी | रामारोशन चक्रपथ नि खण्ड १ | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | मुजुवगर चाफामाण्डौ स. | ४५ लाख | ३६४८००० | ३६४८००० | चिलेत्रा कालापानी ग्रा.स. | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | मुजुवगर ३ नं.वडा का.स. | ३८ लाख | २६८८००० | २६८८००० | शान्तडा बाटुलेसैन स. | ३३.६० लाख | २३०४००० | २३०४००० | सैनीहुप सडक | ५५ लाख | ४२२४००० | ४२२४००० | सेरा वडा कार्यालय सडक | ९६ लाख | ७६८०००० | ७६८०००० | वासखेत सुतार सडक | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | विल्यमकाथ कृ.स. | ९६ लाख | ७६८०००० | ७६८०००० | वासखेत दुलासैन सडक | २४ लाख | १९२०००० | १९२०००० | बल्लेखोला बाटुलासैन स. | २९.६९ लाख | २३७५००० | २३७५००० | बल्लेखूला बाटुलासैन स. | ३०.४१ लाख | २४००००० | २४००००० | गुलिखा पडेक्ष ग्रा.स. | १९.२२ लाख | १४४०००० | १४४०००० | दुनीसैन भाटाकाटिया स. | ३१.६५ लाख | २४००००० | २४००००० | भवन निर्माण तर्फ | | ० | ० | पूर्णचन्द्र उ.मा.वि. | ६०.९५ लाख | ५२८६५९९ | १६००००० | सरस्वती उ.मा.वि. | ६१.०६ लाख | ५२७५५३७ | १६००००० | जम्मा | | ५७९४९९२८/- | ५०५९९०००/- | |
| योजनाको नाम ग्रामिण सडक | लागत अनुमान (लाख) | सम्भौताअनुसार भुक्तानी रकम | हाल सम्मको भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| रामारोशन चक्रपथ नि खण्ड १ | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुजुवगर चाफामाण्डौ स. | ४५ लाख | ३६४८००० | ३६४८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| चिलेत्रा कालापानी ग्रा.स. | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मुजुवगर ३ नं.वडा का.स. | ३८ लाख | २६८८००० | २६८८००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शान्तडा बाटुलेसैन स. | ३३.६० लाख | २३०४००० | २३०४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सैनीहुप सडक | ५५ लाख | ४२२४००० | ४२२४००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सेरा वडा कार्यालय सडक | ९६ लाख | ७६८०००० | ७६८०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वासखेत सुतार सडक | ३६ लाख | २८८०००० | २८८०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| विल्यमकाथ कृ.स. | ९६ लाख | ७६८०००० | ७६८०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वासखेत दुलासैन सडक | २४ लाख | १९२०००० | १९२०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बल्लेखोला बाटुलासैन स. | २९.६९ लाख | २३७५००० | २३७५००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बल्लेखूला बाटुलासैन स. | ३०.४१ लाख | २४००००० | २४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गुलिखा पडेक्ष ग्रा.स. | १९.२२ लाख | १४४०००० | १४४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दुनीसैन भाटाकाटिया स. | ३१.६५ लाख | २४००००० | २४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भवन निर्माण तर्फ | | ० | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| पूर्णचन्द्र उ.मा.वि. | ६०.९५ लाख | ५२८६५९९ | १६००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सरस्वती उ.मा.वि. | ६१.०६ लाख | ५२७५५३७ | १६००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | | ५७९४९९२८/- | ५०५९९०००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५३. | <p>वित्तीय समानीकरण (शिक्षा):</p> <p>आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) अनुसार वासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिशन, विक्रि बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफलको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने भनि उल्लेख भएकोमा गाउँपालिकाले निम्न गो.भौ.र मितिमा निम्नानुसार खानाखर्च वापतको रकम शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्दा अन्य प्रतिफल मानी १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्नेमा कट्टी नगरेकोले निम्नानुसार असुल हुनुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th><th>विवरण</th><th>कार्यक्रम मिति</th><th>संख्या</th><th>रकम</th><th>कर रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२/२०७५/८/२ ६</td><td>सिकाई विश्लेषण सम्बन्धी</td><td>२०७५/५/९</td><td>५४</td><td>२८८००</td><td>४०२०</td></tr> <tr> <td>६/२०७५/९/२ ४</td><td>प्रारम्भिक बाल शिक्षक</td><td>२०७५/९/१७,१८</td><td>१९</td><td>१९०००</td><td>२८५०</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं./मिति | विवरण | कार्यक्रम मिति | संख्या | रकम | कर रकम | २/२०७५/८/२ ६ | सिकाई विश्लेषण सम्बन्धी | २०७५/५/९ | ५४ | २८८०० | ४०२० | ६/२०७५/९/२ ४ | प्रारम्भिक बाल शिक्षक | २०७५/९/१७,१८ | १९ | १९००० | २८५० | ३७४७०/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| गो.भौ.नं./मिति | विवरण | कार्यक्रम मिति | संख्या | रकम | कर रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २/२०७५/८/२ ६ | सिकाई विश्लेषण सम्बन्धी | २०७५/५/९ | ५४ | २८८०० | ४०२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६/२०७५/९/२ ४ | प्रारम्भिक बाल शिक्षक | २०७५/९/१७,१८ | १९ | १९००० | २८५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| | | तालिम | | | | | |
| | ८/२०७५/११/ १२ | भाषा शिक्षण तालिम | २०७५/१०/६,७ | ३४ | ३३६०० | ५०४० | |
| | ८/२०७५/११/ १२ | भाषा शिक्षण तालिम | २०७५/९/२९,३० | ३४ | ३४६०० | ५१९० | |
| | ८/२०७५/११/ १२ | भाषा शिक्षण तालिम | २०७५/१०/३,४ | ३३ | ३२६०० | ४८९० | |
| | १०/२०७५/१ १/१२ | विद्यालय लेखा व्यवस्थापन RMIS | २०७५/१०/२०,२१ | १९ | १९००० | २८५० | |
| | १०/२०७५/१ १/१२ | विद्यालय लेखा व्यवस्थापन RMIS | २०७५/१०/२२,२३ | १९ | १९००० | २८५० | |
| | १२/२०७५/११ १२ | गणित विषय शिक्षण तालिम | २०७५/१०/२७,२८ | ३३ | ३२६०० | ४८९० | |
| | १२/२०७५/११ १२ | गणित विषय शिक्षण तालिम | २०७५/१०/२९,०७५/ ११/१ | ३३ | ३२६०० | ४८९० | |
| जम्मा | | | | | | ३७४७ ०/- | |
| ५४. | <p>कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन: निम्न भौचर र मितिमा निम्न विद्यालयहरूलाई ४ कोठे भवन निर्माणको लागि निकासा दिईएको छ। यि विद्यालय भवनहरु बहुवर्षीय बजेट स्वीकृतसमेत नभएको, चालु वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था विनियोजित बजेटका कारण नदेखिएकाले श्रोतको सुनिश्चय गरी उक्त अधुरा योजनाहरु समयमा पुरा गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने रु </p> | | | | | | |
| | गो.भौ.नं./मिति | विद्यालय | लागत अनुमान | प्रथम रनिङ बिलको रकम | निकासा रकम | | |
| | २४६/०७५/३/२५ | पुर्ण चन्द्र मा.वि.भाटाकाटिया | ६०९५५९२/५६ | १७६४१६४/४५ | १६००००० | | |
| | २४४/०७५/३२५ | सरस्वती मा.वि.भाता | ६१०५९४६/७२ | १७६७८९६/७६ | १६००००० | | |
| | जम्मा | | | | | ३२०००००/- | |
| ५५. | <p>बिल भरपाई: गो.भौ.नं. २५०, मिति २०७६/३/३१ स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ नियम ३६(१) मा तोकिएको बजेट निर्धारित कार्यमा खर्च गरी नियम ३६(३) बमोजिमको बिल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। ने.रा.मा.वि.चाफामाण्डौलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५/७६ को क्रियाकलाप नं.८.५.१४.२३ अनुसार कक्षा ९ मा थप प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनका लागि ल्याव सहयोग अनुदान २६ लाखमध्ये रु.१६८३०००/- भुक्तानी गरेकोमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बिल भरपाईहरु पेश नभएकोले पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने रु. </p> | | | | | | |
| ५६. | <p>RVWRMP चालु : निम्न भौचर र मितिमा ग्रामिण विकास केन्द्र(रुडेक) नेपाल, अछामले निम्नानुसार विविध खर्च र व्यवस्थापन खर्च भुक्तानी लिएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार सेवामा लाग्ने १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी नगरेकाले कट्टा हुनुपर्ने रु. </p> | | | | | | |
| | गो.भौ.नं./मिति | विवरण | भुक्तानी | कर रकम | कट्टी रकम | बाँकी कर | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|-----------------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------|
| | ११९/०७६/१/३ | विविध खर्च | १६७७० | १४५१५ | ६८२ | १३८३३ | |
| | २०७/०७६/३/७ | व्यवस्थापन खर्च | १४९८५ | २२४८ | ० | २२४८ | |
| | | जम्मा | | | | १६०८१/- | |
| ५७. | गो.भौ.नं.४७, मिति २०७६/३/२० धम्काले सिंचाई योजना उ.स.वडा नं. ५ ले Tools र Insurance बाहेको लागत अनुमान रु.४१५५३०३९४ मध्ये रु.४१४८४२१२३ को काम सम्पन्न गरी अन्तिम विलबाट रु.७५१३३७- भुक्तानी लिएको छ। उक्त सिंचाई योजनामा स्टोर भाडा रु.५००००- प्रथम रनिङ विलबाट नै भुक्तानी लिएकोमा सोही रकम अन्तिम विलबाट थप समेत भुक्तानी गएकोले दोहोरो भुक्तानी रकम असुल हुनुपर्ने रु. | | | | | ५०००/- | |
| ५८. | गो.भौ.नं.८ मिति २०७६/११/१४ साना सिंचाई निर्माण मर्मत संभार, प्लाष्टीक पोखरी निर्माण, हिउँ पोखरीको लागि सशर्त पूँजीगत कृषितर्फको कार्यक्रमबाट लोकेश खनाललाई रु.४९०६२०१- भुक्तानी दिएकोमा निम्नानुसार आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर दाखिला हुनुपर्ने रु. | | | | | ६२५९/- | |
| | विवरण | जम्मा रकम | दाखिला हुनुपर्ने | दाखिला भएको | दाखिला हुनुपर्ने | | |
| | विभिन्न विलको भुक्तानी | ३८७९७० | ५८१९ | ४५०० | १३१९ | | |
| | गाडी भाडा | २०००० | २००० | - | २००० | | |
| | पारिश्रमिक दाखिला गर्न वाँकी | - | - | -- | २९४० | | |
| | | जम्मा | | | ६२५९/- | | |
| ५९. | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा १२ वटा योजना सञ्चालनको लागि रु.४०८००००/- विनियोजन गरिएकोमा १ भन्दा बढी योजना सञ्चालन गरिएका गाउँपालिकाका ४,५,६,७ वडाहरूमा ९ वटा योजनाको लागि रु.२९९६०००/- खर्च भएकोमा वडागत रुपमा कुन-कुन योजनामा के कति रकम खर्च भएको हो यकिन गर्न सकिएन। गाउँपालिकाले सञ्चालन हुने योजनाको बारेमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोके अनुसार तोकिएका स्वरोजगारीका कार्यक्रममा बजेट खर्च गरी कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको अनुगमन गरी आवश्यकता एवं क्षमताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गराई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम नै नखुलाई भुक्तानी गरेकाले मनासिव देखिएन। | | | | | | |
| ६०. | जिन्सी दाखिला: गो.भौ.नं.३२४ मिति २०७६/०३/२ मा वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष खडक बहादुर भण्डारीले अनिवार्य आधारभुत शिक्षा घोषणा कार्यक्रमको लागि खरिद गरेको ट्रली वुफर, माइक्रोफोन समेतको सामान कार्यालयमा जिन्सी दाखिला बेगर भुक्तानी भएको देखिएकोले जिन्सी आम्दानी बाधेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु. | | | | | १५१५०/- | |
| ६१. | सम्झौता बेगर भुक्तानी : गो.भौ.नं.४९६, मिति २०७६/०३/२३ बाल संरक्षण तथा संवर्द्धन उप समितिसँग गाउँपालिकाको विधिवत सम्झौता नगरी कार्य सम्पन्न गरेको भनि भुक्तानी माग गरेकोमा समितिको मागवमोजिम रु.२००००००- र गो.भौ.नं.५०७ मिति २०७६/०३/२४ दिलित जनजागरण समाजले सम्झौता बेगर सञ्चालन गरेको ३ महिने सिलाई कटाई तालिमको रु.२५०००००- गरी जम्मा रु. ४५००००१ भुक्तानी गरेको नियम संगत नदेखिएको रु. | | | | | ४५००००/- | |
| ६२. | प्रमाण पेश हुनुपर्ने: स्वीकृत कायक्रम र बजेट निर्धारित कार्यमा खर्च गरी रितपूर्वकको विल भरपाईसहितको लेखा राख्नुपर्नेमा कार्यालयले विभिन्न समयमा वडागत रुपमा स्थानीय क्लब तथा खेलकुद समितिहरूलाई पुरस्कार भनि प्रदान गरेको रकम ति संस्थाहरूले कस्ताई वितरण गरेको हो सोको वितरण भरपाई पेश हुनुपर्ने अन्यथा संस्थाहरूबाट असुल दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | | ४५०००/- | |
| | सि.नं. | संस्थाको नाम र ठेगाना | | प्रदान | गरेको | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|
| | १ | स्मृति युवा क्लव , वडा न ७ | २२७००.०० | | |
| | २ | रामारोशन खेलकुद समिति वडा न ६ | २२७००.०० | | |
| | | | ४५४००.०० | | |
| ६३. | विविध खर्च सम्बन्धमा: खर्च गर्दा विल भरपाईसहित लेखा राख्नुपर्नेमा विविध खर्च तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खर्च देखाइएको निम्नवर्तमानमा खाजा/खाना वापतको रकम के प्रयोजनका लागि कुन-कुन कार्यक्रममा खर्च गरिएको सो सम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रम लागत अनुमानवेगार प्रयोजन नै नखुलाई खर्च भएको देखिएकाले नियम संगत नदेखिएको रु | | | | |
| | १ | ४१/०७५/६/२५ | १४४८००.०० | | |
| | २ | २१२/०७६/१/४ | ४९८४०.०० | | |
| | ३ | २१५/०७६/१/५ | ५२४६०.०० | | |
| | ४ | २३६/२०७६/२/५ | १५७५०.०० | | |
| | ५ | ५११/०७६/३/२४ | १५६००.०० | | |
| | ६ | ३४६/०७६/३/२४ | ४६००.०० | | |
| | ७ | ३१२/२०७६/२/३१ | ४६७८०.०० | | |
| | ८ | ३३०/०७६/३/२ | २७०००.०० | | |
| | ९ | ४७१/०७६/३/११ | ९२००.०० | | |
| | | जम्मा | ३६६०३०.०० | | |
| ६४. | खाजा खर्च : गो.भौ. नं. ९२, मिति २०७५।।।२४ जल उपयोग गुरुयोजना गोष्ठीको सहभागी ३२५ सहभागीको ३ दिनको खाजा खर्च सङ्ख्या ९७५ को प्रतिखाना दर रु.७० को दरले रु.६८२५०।- हुनुपर्नेमा खाजा खर्च सङ्ख्या १०९० को रु.७० का दरले रु.७६३००।- खर्च लेखेको देखियो । यसरी सहभागी सङ्ख्याभन्दा बढीको विल पेश भएको रकम असुल दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | ८०५०/- |
| ६५. | भ्रमण खर्च : खर्च गर्दा विल भरपाईसहितको लेखा राख्नुपर्नेमा गो.भौ.नं. ८३, मिति २०७५।।।२ बाट भ्रमण खर्च रु.८०५४५।- भुक्तानी भएकोमा रु.७२६०।। को मात्र भ्रमण विल पेश हुन आएकोले विलबाहेकको बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | ७९४०/- |
| ६६. | घटी अनुदान सामाग्री वितरण गरी अतिरिक्त थप भुक्तानी : तरकारी, बेसार र फलफूल खेती कार्यक्रमको लागि सञ्चालित निम्न कार्यक्रमहरूमा खरिद भएका अनुदान सामग्रीभन्दा घटी वितरण गरेको देखिएकोले अपुग भएको वितरण सामाग्रीको परिमाण तथा दरले हुने नपुग रकम कार्यक्रम सञ्चालकबाट असुल दाखिला हुनुपर्ने रु | | | | ४५१५०/- |
| | गो.भौ.नं. /मिति | कार्यक्रम/ कार्यक्षेत्र | हुनुपर्ने वितरण भर्पाई | पेश भएको भरपाई | घटी वितरण परिमाण र रकम |
| | १८६, ०७५/११/१५ | तरकारी, बेसार र फलफूल खेती वडा न ४ | ५००० | ३५०००० | ४८४३ |
| | | | | ३३९०९० | १५७ |
| | | | | | १०९९ ० |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|---------------------------------------|--------------|--------|------|--------|-----|-------|------------|
| | १८७, २०७५/१११५ | तरकारी, वेसार र फलफूल खेती वडा न ५ | २५०० | १७५००० | २०१२ | १४०८४० | ४८८ | ३४१६० | |
| ६७. | असुल दाखिला हुनुपर्ने: रामारोशन एजुकेसन नेटवर्क प्रा.लि. मंगलसेनले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेकोमा सञ्चालित कक्षाभन्दा बढीको भरपाई राखी खर्च देखाएको छ। दैनिक २ कक्षाको दरले ३४ दिन सञ्चालित कार्यक्रममा ६८ कक्षा सञ्चालन गरेकोमा ९८ कक्षा सञ्चालन गरेको विवरण पेश गरेको पाईयो। यसरी वास्तविक सञ्चालित कक्षा भन्दा बढी देखाएको ३० कक्षाको रु.१८०००/- मा १५ % कर घटाई सकेपछिको रकम रु.१५३०/- को दरले हुन आउने रकम रु.४५९००/- असुल दाखिला हुनुपर्ने रु. | | | | | | | | ४५९०० |
| ६८. | प्रमाण पेश गर्नुपर्ने: कार्यालयले निम्न पुस्तकहरु खरिद गरेको विल पेश गरी खर्च लेखेको पाईयो। ति पुस्तकहरुलाई कार्यालयले जिन्सी आम्दानी जनाएको समेत देखिएन। उक्त पुस्तक कुन-कुन निकायलाई कहाँ-कहाँ वितरण गरेको हो सोको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ। | | | | | | | | |
| सि.नं. | सामानको विवरण | गो.भौ.नं./मिति | सडख्या /गोटा | | | | | | |
| १ | गाउँ शिक्षा रणनीति २०७४ | १०७/०७५/९/२५ | १६० | | | | | | |
| २ | अनिवार्य आधारभूत कार्यविधि | १०७/०७५/९/२५ | १३० | | | | | | |
| ३ | मेरो नजरमा विद्यालय | १०७/०७५/९/२५ | १२५ | | | | | | |
| ४ | हाजिरी लेखाजोखा कार्यविधि | १०७/०७५/९/२५ | ७५ | | | | | | |
| ५ | अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यविधि | १०७/०७५/९/२५ | ७५ | | | | | | |
| ६९. | कृषि तथा पशु कार्यक्रम : गा.भौ.नं. ४३९, मिति २०७६/३/१७ चिया खेती सञ्चालन कार्यक्रममा २५०० वटा चियाका विरुवा खरिद र वितरण तथा रोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको भनि रु.१०००००/- खर्च लेखेको पाईयो। चियाको विरुवा खरिद र वितरण तथा रोपणको स्वीकृत कार्यक्रम खरिद विल भरपाई रोपण ज्यामी ज्याला लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण नदेखिएकोले सो कार्यक्रम भएको हो वा होईन यकिन हुनसकेन। अतः सो कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल दाखिला हुनुपर्ने देखिएको रु. | | | | | | | | १०००००/- |
| ७०. | पेशकी दिँदा लागत अनुमान: आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(५) मा सरकारी निकायबाट कुनै तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा लागत अनुमान तयारी गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै स्वीकृत कार्यक्रम अनुरूप सञ्चालित तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी आदि सम्पन्न भइसकेपछि कार्यक्रम अनुरूप कार्य सम्पन्न भए नभएको र त्यसमा खर्च गरिएका मालसामानहरुको विवरण तथा विल भरपाईसहितको खर्च देखिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कार्यालयले आ.व. ०७५/७६ मा कृषि, शिक्षा, पशु र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पेशकी मागा गर्दाको बखत कार्यक्रम निर्देशिका अनुरूपका क्रियाकलापहरु निर्धारण गर्ने र स्वीकृत नम्स अनुसार लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा त्यस्ता तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा निवेदनका आधारमा पेशकी लिने, लिएको पेशकी फछ्यौट नगरी पुनः पेशकी दिने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कार्यक्रम नगरी पेशकी रहिरहने र वर्षान्तमा मात्र कार्यक्रम गरी पेशकी फछ्यौटको लागि पेश गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा कार्यक्रम निर्देशिका अनुरूपका क्रियाकलापहरु तोकिएको संख्या, नम्स र मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन नहुने देखिएको छ। तसर्थ मौजुदा नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी लक्षित वर्गलाई लाभान्वित तुल्याउने र खर्चमा मितव्ययीता ल्याउनेतर्फ कार्यालयले ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ। | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|--|--|--|--|------------------|--|
| | विशेष अनुदान प्रदेश सरकार सुदुर पश्चिम (पूँजीगत) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७१. | <p>हेभी मेशिन प्रयोग: सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा एक्साबेटर, ग्रेडर, रोलर जस्ता हेभी मेशिन प्रयोग गर्न नसकिने उल्लेख छ। तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनि उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। गाउँपालिकाले ग्रामिण सडक बनाउने कार्य गर्दा सबै लागत अनुमानमा ग्रेडर, लोडर, रोलर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरी आफुले समझौता अनुसार स्वीकार गरेको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिहरूले सिवै निर्माण व्यवसायीहरूसँग समझौता गरी काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गरेको छ। सडक खन्ने कार्यमा उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाबाट समझौता गरी लिने र सो कार्य निर्माण व्यवसायी कम्पनीको हेभी मेशिन भाडामा प्रयोग गरेको देखाई भुक्तानी गरेको छ। गाउँपालिकाले सडक बनाउने कार्य गर्दा गठन गरेका विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूले धेरै जसो कार्यमा निर्माण व्यवसायीबाट गराउने गरेका छन्। गाउँपालिकाले देहायका भौचरमा निर्माण व्यवसायीको विलबाट उपभोक्ता समितिमार्फत रु.६२४००००। भुक्तानी गरेको छ। गाउँपालिकाले उपभोक्तासँग गरेको समझौता अनुसार भुक्तानी हुने बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धाविवर पाएको अवस्था रहेको देखियो। नियमावलीमा समझौता अनुसार उपभोक्ताले जिम्मा लिएका निर्माण कार्यहरु पुनः उपभोक्ताले ठेकेदारलाई सबलेटमा दिई भुक्तानी दिने परिपाटि नियन्त्रण हुनुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं./मिति</th><th>विजक नम्बर</th><th>उपभोक्ता समिति</th><th>काम</th><th>निर्माण व्यवसायी</th><th>भुक्तानी रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२/२०७६/३/१६</td><td>१३/२०७६/३/१५</td><td>बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक योजना उ.स</td><td>बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक</td><td>अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन</td><td>२४०००००</td></tr> <tr> <td>४/२०७६/३/२४</td><td>८/२०७६/३/१९, १६/२०७६/३/१९</td><td>गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा सडक नि.उ.स.</td><td>गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा ग्रामिण सडक</td><td>कालिका विल्डर्स टिकापूर र अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन</td><td>१४४००००</td></tr> <tr> <td>६/२०७६/३/२६</td><td>१५/०७६/३/२५</td><td>वासखेत टुडी सैन सडक निर्माण उ.स</td><td>वासखेत भाटाकाटिया ग्रामिण सडक</td><td>दिल कन्स्ट्रक्सन कालिका २ अछाम</td><td>२४०००००</td></tr> <tr> <td colspan="5">जिम्मा</td><td>६२४००००/-</td></tr> </tbody> </table> | गो.भौ.नं./मिति | विजक नम्बर | उपभोक्ता समिति | काम | निर्माण व्यवसायी | भुक्तानी रकम | २/२०७६/३/१६ | १३/२०७६/३/१५ | बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक योजना उ.स | बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक | अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन | २४००००० | ४/२०७६/३/२४ | ८/२०७६/३/१९, १६/२०७६/३/१९ | गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा सडक नि.उ.स. | गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा ग्रामिण सडक | कालिका विल्डर्स टिकापूर र अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन | १४४०००० | ६/२०७६/३/२६ | १५/०७६/३/२५ | वासखेत टुडी सैन सडक निर्माण उ.स | वासखेत भाटाकाटिया ग्रामिण सडक | दिल कन्स्ट्रक्सन कालिका २ अछाम | २४००००० | जिम्मा | | | | | ६२४००००/- | |
| गो.भौ.नं./मिति | विजक नम्बर | उपभोक्ता समिति | काम | निर्माण व्यवसायी | भुक्तानी रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २/२०७६/३/१६ | १३/२०७६/३/१५ | बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक योजना उ.स | बल्दे खोला बाटुलासैन ग्रामिण सडक | अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन | २४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४/२०७६/३/२४ | ८/२०७६/३/१९, १६/२०७६/३/१९ | गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा सडक नि.उ.स. | गुलिरवा मलातिकोट पडेश्वा ग्रामिण सडक | कालिका विल्डर्स टिकापूर र अग्नि कन्स्ट्रक्सन, मंगलसेन | १४४०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६/२०७६/३/२६ | १५/०७६/३/२५ | वासखेत टुडी सैन सडक निर्माण उ.स | वासखेत भाटाकाटिया ग्रामिण सडक | दिल कन्स्ट्रक्सन कालिका २ अछाम | २४००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जिम्मा | | | | | ६२४००००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७२. | <p>गो.भौ.नं.८, मिति २०७६/३/२५ श्रमदान नपुग: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट काम गराएपछि प्राविधिक कर्मचारीबाट अनुगमन मुल्याङ्कन गराई विल भरपाईका आधारमा उपभोक्ता समितिको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले कैलासखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको सामान खरिदको लागि उपभोक्ता समितिसँग समझौता गरी गाउँपालिकाले व्यहोनुपर्ने रकम रु.९६००००। भुक्तानी गरेको देखियो। लागत अनुमान रु.१०९७२६७। जनश्रमदानको अंश व्यहोनुपर्ने रकम अनुपातिक कट्टी नगरी भुक्तानी भएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने रु. १९७२६७।-</p> <p>पशु सेवा वीतीय समानिकरण (चालू र पूँजीगत)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम | | |
|---------|---|-------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------|------------|--------|--|
| ७३. | गो.भौ.नं.६ मिति २०७६।३।२४ गाउँपालिकाको २०७६।१।२३ को प्रकाशित सूचना अनुसार युवा लक्षित व्यवसायीक भेडा बाखा प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरी उत्पादन बढाउन युवा लक्षित व्यवसायिक बाखा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा पशु सेवा शाखावाट द वटा समूह छनौट गरी प्रति समूह रु.५०००००। का दरले रु.४०००००। वितरण गरेको देखियो । ५० प्रतिशत कृषकको र ५० प्रतिशत गाउँपालिकाको हनुपर्नेमा कार्यालयले भुक्तानी दिने ५० प्रतिशतको विल भरपाई पेश गरी रकम भुक्तानी भएको छ । गाउँपालिकाले दिईएको रकमलाई सत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशतका दरले सम्बन्धित फार्म सञ्चालकबाट लगानी व्यहोर्नुपर्ने समझौताको शर्त अनुसार ५० प्रतिशतले हुने लगानी नदेखिएको रु. | | | | | | २०००००।- | | |
| | सि.नं. | समूहको नाम | अनुदान रकम | व्यहोर्नुपर्ने रकम | व्यहोरेको रकम | कम भएको रकम | | | |
| | १ | चै रवेभारा बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | २ | लक्ष्मी बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ३ | बुद्धाधारा बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ४ | पदम बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ५ | प्राण विमा बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ६ | कैलास मुहान बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ७ | दिलेन्द्र भेडा बाखापालन फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | ८ | गोपिकृष्ण बाखा फार्म | ५०००० | ५०००० | ० | २५००० | | | |
| | | जम्मा | | | | २०००००।- | | | |
| ७४. | डिपिङ्ग ट्र्याङ्ग निर्माण: गो.भौ.नं.६, मिति २०७६।३।२४ वडा स्तरमा डिपिङ्ग ट्र्याङ्ग निर्माण कार्यमा गाउँपालिकाबाट ३५००००। विनियोजन भएको देखिन्छ । प्रतिवडा ५००००। को दरले विल भरपाई अनुसार ७ वडाका भेडा फार्महरूको निवेदनको आधारमा भुक्तानी गरेकोमा वडा नं.३ र ६ को निवेदनमा रु.४००००। मात्र खर्च भएको भनि निवेदन पेश भएकोमा पुरै ५००००। नै वितरण गरेको देखिन्छ । यसरी माग कम भएको अवस्थामा समेत बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएकोले निज फार्महरूलाई पेश भएको विल भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम रु.२००००। असुल हनुपर्ने रु. | | | | | | | २०००।- | |
| ७५. | बढी भुक्तानी: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट काम गराएपछि प्राविधिक कर्मचारीबाट अनुगमन मुल्याङ्गन गराई विल भरपाई पेश भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको र पर्यटन बोर्डको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको किनिमिनि चाँखा गोरेटो बाटो पैदल मार्गमा लागत अनुमान ८४००४। ८४ स्वीकृत भई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन रु.८४०।०।२।४। को पेश भएकोमध्ये श्रमदान रु.१६८०।८।८।४ र कन्टिन्जेन्सी रु.२८००।। कट्टा गर्दा रु.६७२००।। भुक्तानी हनुपर्नेमा कन्टिन्जेन्सी रु.१४००।। मात्र कट्टा गरेको देखियो । प्राविधिक मुल्याङ्गन अनुसार भुक्तानी रु.६७२००।। हनुपर्नेमा रु.६८५५।। भुक्तानी गरेकोले बढी भुक्तानी रु.१३५।। सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | १३५।।। | |
| ७६. | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनैपनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगद वितरण गर्न नपाइने र प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै लक्षित वर्ग तथा समूहको तथ्याङ्क केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको MIS systemमा Online प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कको | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|------|-------------|------------------------|--------------------|---------|--------|---|--------------|--------------|-----|------|----------------|--|------------------|-----------|------|-------|------------------------|--|---------|----------------|------|------|-------|--|-------------|--------------|-----|------|-------|--------------------|-------------|-----------------------|------|------|-------|--|---|---------------|--------------|-----|-----|-------|--|-------------|--------------|-----|-----|-------|--|-------------|--------------|-----|------|-------|--|----------|--------------|-----|-----|-------|--|---|--------------|----------------|------|------|-------|--|-------------|--------------|-----|------|-------|--|-------------|--------------|-----|------|-------|--|---|-----------|-------------|------|------|-------|--|-------------|--------------|-----|------|-------|--|---|-------------|-----------|------|------|-------|--|--------------|--------------|-----|------|-------|--|---|-------------|----------------|-----|------|------------------------|--|---------------|----------------|-----|------|------------------------|--|-----------|----------------|-----|------|------------------------|--|--|
| | आधारमा नजिकको बैंकको शाखाबाट खाता सञ्चालन गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (क) गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरेको देखिएन भने तीन वटै चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम ₹.५९८४९४००- नगदमा बुझाएको देखियो । उल्लेखित अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएकोले व्यवस्थापन पक्षले लाभग्राहीहरूको मुल अभिलेख अद्यावधिक, सो को नविकरण, लगत कट्टा, वितरण प्रणाली र बैंक खाता सञ्चालन लगायत तोकिएका अन्य कार्यहरूलाई विश्वसनीय र भरपर्दा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकमा खाता खोली बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं.११ अनुसार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनुसूची ८, ९, १०, ११ र १२ तयार गरी सोको आधारमा भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको परिचयपत्र सहितको नामावली अद्यावधिक नहुँदा भत्ता पाउने उचित व्यक्ति छुट वा अर्को व्यक्तिले दोहोरो भत्ता भुक्तानी लिई खर्चमा अनियमितता हुन जाने सम्भाव्यता विद्यमान रहन्छ । गाउँपालिकाको निम्न बडाहरूमा दोहोरो भत्ता वितरण गरेको देखिएकाले उक्त दोहोरो परेको भत्ता सम्बन्धित बडा सचिवलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने देखियो । निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार सबै अनुसूचीको भिडान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च लेख्ने, अधिल्लो चौमासिकमा भएको नविकरण, लगत कट्टाको अभिलेखलाई अद्यावधिक गरेर मात्र अर्को चौमासिकको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो वेगर भुक्तानी भएको छ रु ७७२००/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>बडा नं.</th><th>नाम</th><th>लक्षित समूह</th><th>दर</th><th>जम्मा रकम</th><th>चौमासिक</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">७</td><td>अनिल भण्डारी</td><td>बालपोषण अन्य</td><td>४००</td><td>३२००</td><td>प्रथम र दोस्रो</td><td></td></tr> <tr><td>पारुदेवी भण्डारी</td><td>एकल महिला</td><td>१०००</td><td>१२०००</td><td>प्रथम, दोस्रो र तेस्रो</td><td></td></tr> <tr><td>मन ढोली</td><td>जेष्ठ ना. दलित</td><td>१०००</td><td>४०००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>लालु परियार</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td>नाम र अविभावक एउटै</td></tr> <tr><td>पिण्ये ढोली</td><td>जेष्ठ ना. दलित र अन्य</td><td>२०००</td><td>८०००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">२</td><td>दिपिका परियार</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>४००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>सिमा टमट्टा</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>४००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>हिरन टमट्टा</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>आशा रावल</td><td>बालपोषण अन्य</td><td>४००</td><td>४००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">१</td><td>धाडेरे साउँद</td><td>जेष्ठ ना. अन्य</td><td>२०००</td><td>८०००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>दिनेश साउँद</td><td>बालपोषण अन्य</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>दिपेश वि.क.</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">३</td><td>तुली ढोली</td><td>विधवा महिला</td><td>१०००</td><td>४०००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>युवराज ढोली</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">५</td><td>धर्मी साउँद</td><td>एकल महिला</td><td>२०००</td><td>८०००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr><td>चन्द्र लोहार</td><td>बालपोषण दलित</td><td>४००</td><td>१६००</td><td>प्रथम</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">४</td><td>दिलिप विष्ट</td><td>बालबालिका अन्य</td><td>४००</td><td>४८००</td><td>प्रथम, दोस्रो र तेस्रो</td><td></td></tr> <tr><td>दुर्गा परियार</td><td>बालबालिका दलित</td><td>४००</td><td>४८००</td><td>प्रथम, दोस्रो र तेस्रो</td><td></td></tr> <tr><td>धना वि.क.</td><td>बालबालिका दलित</td><td>४००</td><td>४८००</td><td>प्रथम, दोस्रो र तेस्रो</td><td></td></tr> </tbody> </table> | बडा नं. | नाम | लक्षित समूह | दर | जम्मा रकम | चौमासिक | कैफियत | ७ | अनिल भण्डारी | बालपोषण अन्य | ४०० | ३२०० | प्रथम र दोस्रो | | पारुदेवी भण्डारी | एकल महिला | १००० | १२००० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | मन ढोली | जेष्ठ ना. दलित | १००० | ४००० | प्रथम | | लालु परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | नाम र अविभावक एउटै | पिण्ये ढोली | जेष्ठ ना. दलित र अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | २ | दिपिका परियार | बालपोषण दलित | ४०० | ४०० | प्रथम | | सिमा टमट्टा | बालपोषण दलित | ४०० | ४०० | प्रथम | | हिरन टमट्टा | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | आशा रावल | बालपोषण अन्य | ४०० | ४०० | प्रथम | | १ | धाडेरे साउँद | जेष्ठ ना. अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | दिनेश साउँद | बालपोषण अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | दिपेश वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | ३ | तुली ढोली | विधवा महिला | १००० | ४००० | प्रथम | | युवराज ढोली | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | ५ | धर्मी साउँद | एकल महिला | २००० | ८००० | प्रथम | | चन्द्र लोहार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | ४ | दिलिप विष्ट | बालबालिका अन्य | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | दुर्गा परियार | बालबालिका दलित | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | धना वि.क. | बालबालिका दलित | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | |
| बडा नं. | नाम | लक्षित समूह | दर | जम्मा रकम | चौमासिक | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | अनिल भण्डारी | बालपोषण अन्य | ४०० | ३२०० | प्रथम र दोस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पारुदेवी भण्डारी | एकल महिला | १००० | १२००० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | मन ढोली | जेष्ठ ना. दलित | १००० | ४००० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | लालु परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | नाम र अविभावक एउटै | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | पिण्ये ढोली | जेष्ठ ना. दलित र अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | दिपिका परियार | बालपोषण दलित | ४०० | ४०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सिमा टमट्टा | बालपोषण दलित | ४०० | ४०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | हिरन टमट्टा | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | आशा रावल | बालपोषण अन्य | ४०० | ४०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | धाडेरे साउँद | जेष्ठ ना. अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दिनेश साउँद | बालपोषण अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दिपेश वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | तुली ढोली | विधवा महिला | १००० | ४००० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | युवराज ढोली | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | धर्मी साउँद | एकल महिला | २००० | ८००० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | चन्द्र लोहार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | दिलिप विष्ट | बालबालिका अन्य | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | दुर्गा परियार | बालबालिका दलित | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | धना वि.क. | बालबालिका दलित | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|---|----------------|------|-----------|---------------------------|--------|------------|
| | सरस्वती परियार | बालबालिका दलित | ४०० | ४८०० | प्रथम, दोस्रो र तेस्रो | | |
| | जम्मा | | | ७७२००/- | | | |
| | वडा नं.६ को सामाजिक सुरक्षा वितरणको प्रथम चौमासिक परीक्षण गर्दा निम्न नामहरूबाट दोहोरो भत्ता भुक्तानी भएको देखिएकोले असुल गर्नुपर्ने तथा अन्य दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको कार्यालयले छानाविन गर्नुपर्ने रु. | | | | | | ९२०००/- |
| | वडा नाम थर | लक्षित वर्ग | दर | जम्मा रकम | चौमासिक | कैफियत | |
| ६ | मन्धरी साँउद | जेष्ठ ना. अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | |
| | लाले साउँद | जेष्ठ ना. अन्य | २००० | ८००० | प्रथम | | |
| | रंगी टमट्टा | विधवा महिला | १००० | ४००० | प्रथम | | |
| | कलु देवी परियार | जेष्ठ ना. दलित | १००० | ४००० | प्रथम | | |
| | बुढे दमाई | जेष्ठ ना. दलित | १००० | ४००० | प्रथम | | |
| | विधवाभत्तामा बढी वितरण | | १००० | ४००० | प्रथम | | |
| | कृष्ण परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | कौशीला परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | गंगा वि.क | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | चिरन्जीवी वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | जनक परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | जिवन परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | देवसरा परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | निसा परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | बसन्त वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | विपना वि.क | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | विविसा परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | विशाल परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | भिजन वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | मदन वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | मनिसा वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | मोहन वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | युवराज परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | लक्ष्मण वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | विरेन्द्र वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | संगिता वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | सिता वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | सुमन वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | हिक्मत परियार | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | अमिरा वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | कपिल वि.क. | बालपोषण दलित | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | हिममत साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | सुदिप साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | शेर साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | रेजिना साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | रमिता साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | | | | | | बेरुजू रकम |
|---------|--|----------------|-----|---------|-------|--|------------|
| ७६. | यूनिक साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | मनिसा साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | मनसरा साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | रमित साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १२०० | प्रथम | | |
| | निर्मला साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | नरेश साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | नन्दे साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | ८०० | प्रथम | | |
| | दिर्गा साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | १६०० | प्रथम | | |
| | तपेन्द्र साँउद | बालबालिका अन्य | ४०० | ४०० | प्रथम | | |
| | जम्मा | | | ९२०००/- | | | |
| ७७. | कृषि समानिकरण चालू : गो.भौ.नं. ९ मिति २०७६/१२ भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ७(१) अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा मुलुकभित्र आफ्नो कार्यालयभन्दा बाहिर भ्रमणमा वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले अनुसूची-२ बमेजिमको दरमा दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुका अन्तर जिल्ला स्तरिय कृषि तथा पर्यटन भ्रमणमा रु. २००००००/- विनियोजन गरेकोमा रु. ९८०००००/- को कार्यक्रम गरी अन्य शीर्षकहरुबाट रु. ७८०००००/- थप खर्च गरेको देखियो । खर्चको तेरिज अनुसार २८ जना व्यक्तिहरुलाई प्रति दिन प्रचलित नियमानुसार १३.२५ दिनको भ्रमण खर्च रु.४९८७००/- लेखेको, गाडी रिञ्जर्व खर्च रु. ३३९४५/-, प्रतिवेदन लेखन र व्यानरको रु. ९३००/-, खाजा, विविध खर्च रु. २१२०५०/- तथा प्रशिक्षण खर्च रु. ५०००/- गरेकोमा नियमानुसार भ्रमणमा खटिएको व्यक्ति तथा कर्मचारीले दैनिक भ्रमण भत्ता लिईसकेपछि अन्य खर्च नपाउने भएकोले भ्रमण अवधिमा अन्य खाजा तथा विविध खर्च रु. २१२०५०/- बढी खर्च देखिएकाले भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नुपर्ने रु. | | | | | | २१२०५०/- |
| | आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजू अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै फछ्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यबस्था भएता पनि देहायबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु फछ्यौट गरेको प्रमाण पेश नभएकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको छ । | | | | | | |
| | संतर्घीय सशर्त अनुदान | | | | | | |
| ७८. | साना सिंचाई कार्यक्रम गो/२०७६ मिति २४ .नं.भौ.२/५ सिमखेत तारावन सिंचाई जल उ रामारोशनलाई अन्तिम बिल .स . भुक्तानी दिँदा रु को बहाल कर कट्टी ००.४२०००. नगरेकाले उक्त रकम रु असुल ००.४२००. उपर गरी दाखिलाहुनुपर्ने रु. | | | | | | ४२००/- |
| ७९. | राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय उर्जाकार्यक्रम गो/२०७६ मिति ३१ नं.भौ./२,३०/ २०७६ गते बसेको कार्यपालिकाको ३/१/निर्णय अनुसार श्री कालु लक्ष्मी फर्निचर उद्योगलाई आगलागी क्षतिपुर्तिस्वरूप रु.१००००० अनुदान दिएको ००. असम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी भएकाले अनियमित बजेट खर्च रकम देखिएको रु. | | | | | | १०००००/- |
| ८०. | राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय उर्जाकार्यक्रम गो/२०७६ मिति ३५ नं.भौ./३ वायोग्यास जडान बापतको रकम :१/बायोग्यास जडान सम्बन्धी कार्यमा खर्च नगरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बडा अध्यक्ष श्री चक्र बहादुर रावललाई चाफामाण्डौ दोग्रीखोला लघु जल विद्युत योजना मर्मतका लागि रकम रु.४२०००। —भुक्तानी दिएको खर्च अनियमित देखिएको रु. | | | | | | ४२००/- |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------|------|--------------------|-----|--|
| ८१. | साना सिंचाई कार्यक्रम)SIP) गो२०७६ मिति ४७ नं.भौ./३ अन्तर्गत धमकाले जल उ२०/. स अन्तिम विल भुक्तानी दिदा कट्टी . गर्न बाँकी बहाल कर रु७७००.। - असुल उपर गरी दाखिला हुनु पर्ने रु. | ७७००/ | | | | | | |
| ८२. | विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम गो नं.भौ.१२३ मिति २०७६/१/३ जिल्लास्तर अन्तर्गत कार्यालयले निशुल्क पाठ्यपुस्तक वापत रु००.३२८०४३३., छात्रवृत्ति वापत रु र बुक कर्नर व्यवस्थापन ००.९६९९००.अन्तर्गत नन - विद्यालयहरूलाई निकासा दिएकोमा निकासासंग सम्बन्धित ००.२२०३८५०.सेलरी वापत रुक्खागत जम्मा विद्यार्थी संख्या र छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी संख्या लगायत पाठ्यपुस्तक वितरण छात्रवृत्ति र बुक कर्नर व्यवस्थापन सम्बन्धी बजेट खर्चको अभिलेख पेश नभएकोले विद्यार्थी संख्या खर्चको , आवश्यकता जस्ताआधारमा निकासा खर्च लेखुपर्दछ । | | | | | | | |
| ८३. | कार्यालयले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास- कार्यक्रम अन्तर्गत निकासा बेगरयुनिसेफ र एकीकृत जिल्ला ०.५००००. नगद अनुदान तर्फको रु- स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफ- सोझै भुक्तानी हुने अनुदान तर्फको रु ०.६०९८४७.खर्च नेपाल सरकारको श्रोतवाट खर्च लेखेको रकम अनियमित देखिएको रु. | ६५९८४७. ०० | | | | | | |
| वित्तीय समानीकरण राजश्व बाँडफाँड,आन्तरिक श्रोत खर्च | | | | | | | | |
| ८४. | पशु शाखा तर्फ प)ूँजीगतः(गो .नं .भौ.२ मिति २०७६ना २९/३/. प लाई.क.ध्रुव वि .प्रा .से . बाखा भेडाको डिपाइड ट्यांक बनाउने कार्यवापत रकम रु भुक्तानी भएकोमा ००.३५००००.उक्त निमाण कार्यको लागत अनुमान तथा प्राविधिक मुल्याङ्कन खर्चको विल भरपाई तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी बजेट खर्च लेखुपर्नेमा उपर्युक्त प्रमाण वेगर खर्च भुक्तानी भएको देखिएकाले उक्त रकमको कार्य सम्पन्न लगायतका प्रमाण पेश हुनुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल हुनुपर्ने रु. | ३५०००, | | | | | | |
| ८५. | कृषि शाखातर्फ : गो२०७५ मिति २ नं.भौ./६ मा गहु ४/००को विउ खरिद कार्यक्रमको भुक्तानीमा बहाल कर रकम रु र विउ खरिद गर्दा अग्रिम कर कट्टी नगरी ००.४०००.भुक्तानी गरेको रकम रु ००.३९३०.असुल उपर गरी दाखिला हुनुपर्ने | ७९३०/ | | | | | | |
| ८६. | गो२०७५ मिति ५ नं.भौ./११ मा १३/लोकेश खनाललाई आलुको विउ खरिद वापत भुक्तानी दिँदा बहाल कर रकम १८०० ००.कट्टी गरेको नदेखिएकाले उक्त रकम असुल उपर गरी दाखिला गर्नुपर्ने | १८००/ | | | | | | |
| कार्यालयतर्फ (चालु) | | | | | | | | |
| ८७. | गो मिति १७५ नं.भौ.२०७५बडा नं १५/११/. ६ को महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत २ दिने देउडा प्रतियोगिता स आलनको खर्च भुक्तानीमा कार्यक्रम स आलन सहभागिको ,स्वीकृत अनुमान , उपस्थिति लगायतका प्रमाणका आधारमा खाना तथा खाजा खर्चस्वरूप रु खर्च ००.४४३७५. लेखुनुपर्नेमा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी सो कार्यक्रम खाना खर्च लेखेको देखिएकोले उक्त रकम अनियमित देखिएको रु. | ४४३७५/ | | | | | | |
| ८८. | गो२०७५ मिति १७६ नं.भौ./११ बाट निम्न बमेजिमका कर्मचारीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी १५/ दिँदा बढी भुक्तानी रकम असुल उपर गरी संचित कोषमा दाखिला हुनु पर्ने रु. | २३५०/ | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>कर्मचारीको नाम</td> <td>बढी भुक्तानी रकम</td> </tr> <tr> <td>हंस बहादुर साउद</td> <td>१७१०</td> </tr> <tr> <td>बुद्धी बहादुर साउद</td> <td>६४०</td> </tr> </table> | कर्मचारीको नाम | बढी भुक्तानी रकम | हंस बहादुर साउद | १७१० | बुद्धी बहादुर साउद | ६४० | |
| कर्मचारीको नाम | बढी भुक्तानी रकम | | | | | | | |
| हंस बहादुर साउद | १७१० | | | | | | | |
| बुद्धी बहादुर साउद | ६४० | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|---------|---|----------------------------------|--------|---------|---|------------------|-------|--------|--|-------|--|-------|--|
| ८९. | गो बाट प्रमुख प्रशासक १५/११/२०७५ मिति १७७ .नं.भौ.लिय अधिकृत गोविन्द प्रसाद पुडासैनीलाई भ्रमण खर्च भुक्तानी दिँदा फुटकर खर्च बापत अधिकतम एकमष्ट रु भुक्तानी ००.२०००. दिनुपर्नेमा रु भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी रकम रु ०.५०००..३००० असुल ग ००.री संचित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | ३०००/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९०. | गोमा उद्धार १५/११/२०७५ मिति १८१ .नं.भौ., राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च विपद)व्यवस्थापन (वि.शिर्षकबाट सरिता मा, शान्तडालाई कम्पाउण्ड वाल भत्किएको भनि वडा समितिको निर्णय अनुसार भुक्तानी भएकोमा कार्यपालिकाको रकमान्तरको निर्णय बेगर निर्माण कार्यको खर्च विपद व्यवस्थापनबाट खर्च लेखको रकम अनियमित देखिएको रु. | ६००००/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९१. | गो बाट कैलाश बहुमुखी क्याम्पस शैक्षिक अनुदान बापत कैलाश ३/१/२०७६ मिति २०८ .नं.भौ. बहुमुखी क्याम्पस, कालागाउलाई रु को भुक्तानीमा निम्नानुसारको ००.९२५०००.फर्मबाट खरिद भएको सामग्रीहरूको दाखिला प्रतिवेदन पेश नभएको साथै आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसारको अग्रिम आय कर कट्टी भएको नदेखिएकोले उक्त रकम असुल उपर हुनुपर्ने रु. | १२६५०/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सिनं.</th><th>फर्मको नाम</th><th>बिल रकम</th><th>अग्रिम कर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>शोडसा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग</td><td>१२२९९९९८.</td><td>१८४५.००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>श्रीष्टि स्टेसनरी एण्ड सप्लायर्स</td><td>६६०३०५</td><td>९९०५.००</td></tr> <tr> <td>३</td><td>दुर्गा स्टेसनर्स</td><td>६००००</td><td>९००.००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>१२६५०</td></tr> </tbody> </table> | सिनं. | फर्मको नाम | बिल रकम | अग्रिम कर | १ | शोडसा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग | १२२९९९९८. | १८४५.०० | २ | श्रीष्टि स्टेसनरी एण्ड सप्लायर्स | ६६०३०५ | ९९०५.०० | ३ | दुर्गा स्टेसनर्स | ६०००० | ९००.०० | | जम्मा | | १२६५० | |
| सिनं. | फर्मको नाम | बिल रकम | अग्रिम कर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | शोडसा ग्रिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग | १२२९९९९८. | १८४५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | श्रीष्टि स्टेसनरी एण्ड सप्लायर्स | ६६०३०५ | ९९०५.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | दुर्गा स्टेसनर्स | ६०००० | ९००.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | | १२६५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९२. | गो श्रोत २५/३/२०७६ मिति ५४५ .नं.भौ.व्यक्ति बालाराम रेमीको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सञ्चालन गरेको खर्चको बिल पेश गरी पेशकी फछ्यौट गर्दा झरना होटल एण्ड कोल्ड स्टोरको बिलबाट इन्धन खर्च लेखेको रकम रु४९३०। — असुल उपर हुनुपर्ने रु. | ४९३०/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९३. | गो का वडा सचिव धुर्व वि ६ बाट वडा नं ३१/३/२०७६ मिति ५७९ .नं.भौ..क लाई विपद. व्यवस्थापन शिर्षकबाट कार्यपालिकाको बजेट रकमान्तरको निर्णय बेगर कार्यालय सम्बन्धी सनानज खरिद गरिएको बिलका आधारमा खर्चको भुक्तानी लेखेकोले उक्त रकम अनियमित देखिएको रु. | ७८८८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९४. | कार्यालयले गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयहरूलाई निजी श्रोतका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न दिन रु८०६६०४०. बजेट विनियोजन गरी शिक्षक माग फारमका आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गरेको छ। विद्यालयको शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी -मिलानपश्चात् थप शिक्षक संख्या यकिन गरी विद्यालयमा त्यसरी नियुक्त भएका शिक्षकहरूको योग्यता तथा अध्यापन अनुमतिपत्र भए नभएको यकिन गरी मात्र निकासा हुनुपर्नेमा सोसँग सम्बन्धित प्रमाण निकासासँग नदेखिएकोले शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात यकिन गरेर मात्र अत्यावश्यक दरवन्दिक शिक्षकको माग तलब अनुदान दिने व्यवस्था गरी अनावश्यक बजेट नियन्त्रण हुनुपर्दछ। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कार्यालयतर्फ प)ूँजीगत(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९५. | गो.भौ.नं. १६७ मिति २०७६ स्वास्थ्य चौकी ६/३/, शैचालय निर्माण उ चाफामाण .स.ङ्डैलाई | ७८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| दफा नं. | भौ.नं., मिति र व्यहोरा | बेरुजू रकम |
|---------|---|------------|
| | शौचालय निर्माणवापत भुक्तानी दिँदा बहाल कर कट्टी नगरेकोले आयकर ऐन २०५८ दफा ८९ अनुसार लाग्ने बहालकर रुअसुल उपर गर ००.७८००.ी संचित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु. | |
| ९६. | गो.भौ.नं. ५३ मिति २०७५ धर्म बहादुर साउदको पेशकी फछ्यौंट गर्दा १४/११/ .रु३००००० ००.को औषधी खरिद भएको बिलका आधारमा पेशकी फछ्यौंट गरेको देखियो। औषधीको दाखिला रिपोर्ट मौज्दात बाँकी लगायत , औषधीको आमदानी खर्च , सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजात पेश नभएकोले औषधी खरिद भएको खर्च अनियमित देखिएको रु. | ३००००० |

अनुसूचीहरु

रामारोशन गाउँपालिकाको संचित कोष विवरण

२०७५।७६

अनुसूची १

(र.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | आय | | | | | व्यय | | | | मौज्दात बाँकी |
|---------|---------------------|--------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | गत वर्षको जिम्मेवारी | समानीकरण अनुदान | सर्वात तथा अन्य बजेट अनुदान | अन्य आय | जम्मा आय | चालु खर्च | पूर्जीगत खर्च | अन्य खर्च | जम्मा खर्च | |
| १ | रामारोशन गाउँपालिका | अछाम | ३६६७३ | ९२८५५ | १८६९९६ | १४०४२९ | ४२०२८० | २८२४६६ | १२२५६८ | ० | ४०५०३४ | ५१९९९ |

अनुसूची-२

बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

२०७५।७६

(र.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | प्रारम्भिक बेरुजू | | | प्रतिक्रियाबाट फल्छौट | | | बाँकी बेरुजू | | बेरुजू | | | | | जम्मा | | | | |
|---------|---------------------|-------------------|----|-------|-----------------------|----|-----|--------------|----|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|---|---|---|
| | | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | रकम | दफा संख्या | | असुल गर्नुपर्ने भएको | अनियमित भएको | नियमित गर्नुपर्ने | | पेस्की | | | | | |
| | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | सै. | ल. | | | कागजात पेश नभएको | राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको | सोधभर्ना नलिएको | जम्मा | | | | |
| १ | रामारोशन गाउँपालिका | ४४ | ५६ | ३४८६१ | ० | ४ | २२९ | ४४ | ५२ | ३४६३२ | ३३०२ | ५६०५ | २५७२५ | ० | ० | ३१३३० | ० | ० | ० |

अनुसूची-३

अद्यावधिक बेरुजू स्थिति

२०७५।७६

(र.हजारमा)

| क्र.सं. | स्थानीय तह | जिल्ला | गत वर्षसम्मको बाँकी | यो वर्षको फर्द्ध्यौट | बाँकी | यो वर्ष सं.प.बाट कायम भएको बेरुजू | यो वर्षको बेरुजू | कुल बाँकी बेरुजू |
|---------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| १ | रामारोशन गाउँपालिका | अछाम | २३५६० | ० | २३५६० | ० | ३४६३२ | ५८१९२ |